Latest updated in January, 2022

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

अभ्यर्थियों के लिए आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा–निर्देश

(उक्त दिशा–निर्देश विज्ञापन का ही भाग/हिस्सा माने जायेंगे।)

(दिनांकः– 20.01.2022)

क्र.सं.		विषय सूची	पृष्ठ संख्या
1.	आवेदन प्रक्रिया संबंधी सामान्य दिशा–निर्देश		2–7
	1.1	आवेदन प्रक्रिया	2–5
	1.2	परीक्षा शुल्क	5–6
	1.3	प्रवेश–पत्र	6
	1.4	अन्तिम दिनांक व समय	6
	1.5	परीक्षा का स्थान एवं माह	6
	1.6	रिक्त पदों की संख्या एवं आरक्षण प्रक्रिया	6–7
	1.7	आनलाईन आवेदन संशोधन की प्रक्रिया	7
2.	परीक्षा के स्वरूप, पाठ्यक्रम व प्रश्नों पर आपत्ति संबंधी सामान्य दिशा–निर्देश		8–9
	2.1	परीक्षा का स्वरूप व पाठ्यक्रम	8
	2.2	प्रश्न पत्र के प्रश्नों पर आपत्ति संबंधी प्रावधान	8–9
	2.3	अभ्यर्थी हेतु प्रश्न पत्र पर आपत्ति का प्रपत्र	9
3.	पद की अर्हता,वेतनमान एवं अयोग्यता संबंधी सामान्य दिशा–निर्देश		10–14
	3.1	शैक्षणिक योग्यता	10
	3.2	अनुभव	10
	3.3	वेतन व पेंशन	10
	3.4	आयु गणना संबंधी सामान्य नियम	10–12
	3.5	राष्ट्रीयता	12
	3.6	नियुक्ति के लिए अयोग्यता	13–14
4.	वर्ग विशेष (श्रेणी) में आरक्षण संबंधी सामान्य दिशा–निर्देश		15–24
	4.1	दण्डवत आरक्षण (Vertical Reservation) संबंधी प्रावधान	15
	4.2	क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) संबंधी प्रावधान	15
	4.3	भूतपूर्व सैनिक सम्बन्धी प्रावधान	15–17
	4.4	राजकीय सेवारत कर्मचारी सम्बन्धी प्रावधान	18
	4.5	निःशक्तता सम्बन्धी प्रावधान	18
	4.6	उत्कृष्ट खिलाड़ी सम्बन्धी प्रावधान	19
	4.7	प्रमाण पत्र संबंधी निर्देश	20–22
	4.8	आरक्षित पदों के संबंध में प्रावधान	23
	4.9	अन्य सूचना	23–24
5.	परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा–निर्देश		24–33
	5.1	महत्वपूर्ण ध्यातव्य बिन्दु व सामान्य निर्देश	24–26
	5.2	ऑनलाईन परीक्षा के सम्बंध में दिशा निर्देश	27
	5.3	वस्तुपरक परीक्षा (Objective Type) हेतु निर्देश	28
	5.4	वर्णनात्मक प्रकार (Descriptive Type) की परीक्षा हेतु विशेष निर्देश	29–30
	5.5	श्रुतलेखक(Scribe) उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी निर्देश	31–32
	5.6	अनुचित साधनों की रोकथाम संबंधी निर्देश	33

–: आवेदन प्रक्रिया संबंधी सामान्य दिशा–निर्देश :–

आवेदन प्रक्रिया :–

1. आवेदन आयोग की वेबसाइट केवल **Online** माध्यम से लिये जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन–पत्रों को भरने के लिये अनुदेश व प्रपत्र उक्त वेब–साइट पर उपलब्ध हैं। अभ्यर्थियों द्वारा आयोग की वेबसाईट **Apply Online** से एस.एस.ओ (SSO) पोर्टल पर लॉगिन कर **Recruitment Portal** सर्विस का चयन करना होगा।
2. **Recruitment Portal** पर अभ्यर्थी को एक बार **One Time Registration (OTR)** प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। इस प्रक्रिया द्वारा अभ्यर्थी को एक विशिष्ट OTR नम्बर मिलेगा। इस प्रक्रिया के पश्चात्त ही अभ्यर्थी किसी भी परीक्षा हेतु आवेदन कर सकता है।
3. अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा शुल्क परीक्षा हेतु आवेदन पपत्र भरकर **Recruitment Portal** पर उपलब्ध भुगतान सुविधा से भुगतान कर आवेदन क्रमांक जनरेट करना होगा।
4. अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु अन्य किसी पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग न करे।
5. अभ्यर्थियों को उक्त परीक्षा शुल्क जमा करने की सुविधाओं में किसी भी प्रकार का शुल्क रिफण्ड नहीं किया जायेगा।
6. अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान आवेदन कर अन्तिम दिनांक से पूर्व सुनिश्वित करें ताकि किसी प्रकार की भुगतान संबंधित Transaction का लम्बित सत्यापन समय रहतें हो सके।
7. ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु आयोग की वेबसाईट पर अभ्यर्थी एप्लाए ऑनलाईन पर क्लिक करें और उसके बाद चरणबद्ध रूप में निर्धारित आईकन को क्लिक करते हुए और सूचना भरते हुए आवेदन पत्र Submit करें। ऑनलाइन आवेदन में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर अभ्यर्थी का आवेदन निरस्त कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जा सकता है। आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन–पत्र अंतिम रूप से भेजने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों का प्रिंट आउट लेकर आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही–सही भरी गईं हैं। आयोग द्वारा हाथ से भरे गए फॉर्म किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किये जाएंगे।
8. अभ्यर्थी आवेदन करने के बाद आवेदन प्रपत्र का प्रिन्ट आवश्यक रूप से लेकर अपने पास सुरक्षित रखें क्योंकि आयोग उक्त प्रपत्र मय आवश्यक दस्तावेजों के सहित आपसे भविष्य में मांग सकता है।
9. अभ्यर्थी को प्रत्येक पद के लिये पृथक–पृथक आवेदन करना होगा। यदि किन्हीं दो या अधिक पदों की एक ही परीक्षा आयोजित की जाती है।
10. **ऑनलाईन आवेदन के अन्तर्गत कुछ प्रविष्टियां अनिवार्य हैं अर्थात् उनके फील्ड मेंडेट्री हैं ऐसी स्थिति में बिना उस प्रविष्टि के भरे फॉर्म सबमिट नहीं होता। इसके अतिरिक्त कुछ प्रविष्टियों के अन्तर्गत एक क्रम का नियम लागू किया हुआ है। आपवादिक स्थितियों में एक नोशनल डाटा भर दे अथवा "NOT APPLICABLE" भर दे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे अभ्यर्थी हो सकते हैं, जिनके द्वारा शैक्षणिक योग्यता के अन्तर्गत किसी संस्था विशेष के नियमानुसार स्नातक की योग्यता तो अर्जित कर ली जाती है किन्तु उसके लिए सीनियर सैकण्डरी/सैकण्डरी की योग्यता उत्तीर्ण करना अनिवार्य नहीं होता। या फिर ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि कोई अभ्यर्थी किसी संस्था विशेष के नियमानुसार उच्चतर योग्यता तो पहले अर्जित कर ले और निम्नतर योग्यता बाद में अर्जित करे। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी आवेदन भरने के लिए एक नोशनल डाटा भर दे और उसका प्रिंटआउट लेकर आयोग को यह समस्त बिन्दु स्पष्ट करते हुए साक्ष्य सहित पृथक से लिखित प्रार्थना पत्र भेज दें कि आवेदन प्रक्रिया के नियमों में उसकी स्थिति आपवादिक होने के कारण उसके द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरी गई नोशनल प्रविष्टि से संबंधित संशोधन आयोग द्वारा किया जावे। बिना इस अतिरिक्त लिखित प्रार्थना पत्र या सूचना के त्रुटि का दायित्व अभ्यर्थी का होगा।**

नोट :— 1.अभ्यर्थी जो आयोग में ऑनलाइन आवेदन करेगें उन्हें उनके मोबाईल पर आवेदन एवं परीक्षा संबंधित एस.एम.एस संदेश आयोग द्वारा भिजवायें जाने की स्वीकृति है।
2. अभ्यर्थी यह ध्यान दें कि ऑनलाइन आवेदन के उपरान्त उन्हें आवेदन—पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से उपलब्ध होगा और यदि आवेदन—पत्र क्रमांक (एप्लीकेशन आई.डी.) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन—पत्र जमा नहीं हुआ है। अभ्यर्थी आवेदन प्रपत्र के preview को आवेदन submit न मानें।
3. यह ध्यान दें कि पूर्व आवेदन के उपरांत भी अभ्यर्थी को संबंधित परीक्षा का नया एप्लीकेशन आई.डी. उपलब्ध होगा, केवल नवीन परीक्षा शुल्क जमा होना ही नवीन परीक्षा के आवेदन का रिवेलिडेट होना तय नहीं करता, जब तक कि उसे नवीन आवेदन का आई.डी. न प्राप्त हो जाए।

विस्तृत आवेदन प्रक्रिया :— आवेदन Online Application Form में लिये जाएंगे जिन्हे **राज्य के निर्धारित ई—मित्रकियोस्क/जन सुविधा केन्द अथवा स्वंय के स्तर से उपलब्ध ऑनलाईन भुगतान सुविधा** के माध्यम से भरा जा सकता है।

(क) **ई—मित्र कियोस्क/जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया** : ई—मित्र/जन सुविधा केन्द्र संचालक सर्व प्रथम आयोग की वेबसाईट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर **Apply Online** पर Click करेगा। इसके पश्चात ई—मित्र/जन सुविधा केन्द्र संचालक को एस.एस.ओ पोर्टल पर लॅगिन कर डेशबोर्ड से आर.पी.एस.सी. के लिए ई—मित्र सर्विस लिंक का चयन करना होगा एवं संबंधित भर्ती परीक्षा के सामने Apply online पर Click करने पर लॉगिन पेज खुलेगा जिसमें ई—मित्र/जन सुविधा केन्द्र संचालक अभ्यर्थी के SSO ID एवं Password से Login करना होगा। जो अभ्यर्थी पहले से पंजीकृत नहीं है वे पहले स्वयं को https://sso.rajasthan.gov.in पर पंजीकृत करेंगे। पंजीयन के उपरांत अभ्यर्थी के SSO ID एवं Password से Login करेंगे एवं संबंधित पद के लिए सम्पूर्ण विवरण का इन्द्राज करेंगे। ई—मित्र/जन सुविधा केन्द्र संचालक आवेदक का आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरने के बाद Application preview Page खोलकर अभ्यर्थी को उसका भरा हुआ आवेदन दिखायेगा। अभ्यर्थी स्वंय अपने भरे हुए आवेदन की **गहनता से जांच** करेगा। यदि आवेदन में कोई त्रुटि रह जाती है तो ई—मित्र कियोस्क संचालक अभ्यर्थी के आवेदन में आवेदक से परामर्श कर त्रुटियों को दूर करेगा। त्रुटियों को सुधारने के बाद आवेदक को पुनः उसके आवेदन का Application preview Page दिखाकर यह सुनिश्चित करेगा कि आवेदन पत्र में भरी गई समस्त प्रविष्टियां पूर्ण रूप से सही है। सही—सही आवेदन भरने के बाद Submit पर Click करेगा। इसके बाद आवेदन में कोई संशोधन नही किया जा सकेगा। सम्पूर्ण आवेदन भरने के बाद अपनी श्रेणी के अनुसार निर्धारित परीक्षा शुल्क ई—मित्र कियोस्क पर जमा करावें। इस हेतु अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित शुल्क जो ई—मित्र सेवा लेने हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धरित है को सेवा प्रदाता को सेवा शुल्क के रूप में देना होगा । आवेदन भरने के बाद अभ्यर्थी ई—मित्र कियोस्क संचालक से भरे हुए आवेदन की हार्ड कॉपी मय रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त करें। **आवेदन को Submit करने मात्र से आवेदन भरा हुआ नहीं माना जावेगा। आवेदन Submit करने के बाद फीस जमा होने पर ही ऑनलाईन आवेदन भरा हुआ माना जायेगा।** यदि आवेदन Submit करने एवं फीस जमा कराने के बाद भी यदि आवेदन पर Transaction Failed आ रहा है तो आवेदन भरा हुआ नहीं माना जावेगा। ऐसी स्थिति में ई—मित्र हेल्पलाईन नम्बर 0141-2221424/25 पर सम्पर्क कर सकते हैं। विज्ञप्ति संबंधी जिज्ञासाओं के लिए अभ्यर्थी आयोग के हेल्पलाईन नम्बर 0145-2635200/212 पर सम्पर्क कर सकते हैं। ऑनलाईन आवेदन संबंधी तकनीकी समस्याओं के लिये हेल्पलाईन नम्बर 9352323625/7340557555 पर सम्पर्क करें।

(ख) **स्वयं के माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया** : इस हेतु अभ्यर्थी सर्व प्रथम आयोग की वेबसाईट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर **Apply Online** पर Click करेगा। इसके पश्चात आवेदक एस.एस.ओ पोर्टल पर SSO ID एवं Password से लॅगिन कर डेशबोर्ड से **Recruitment Portal** सर्विस लिंक का चयन करना होगा एवं संबंधित भर्ती परीक्षा के सामने Apply online पर Click करना होगा। जो अभ्यर्थी पहले से पंजीकृत नहीं है वे पहले स्वयं को https://sso.rajasthan.gov.in पर पंजीकृत करेंगे। पंजीयन के उपरांत अभ्यर्थी के करेंगे एवं संबंधित पद के लिए सम्पूर्ण विवरण का इन्द्राज करें। अभ्यर्थी स्वंय द्वारा भरे हुए आवेदन की **गहनता से जांच** करेगा। यदि आवेदन में कोई त्रुटि रह जाती है तो अभ्यर्थी त्रुटियों को दूर करेगा। त्रुटियों को सुधारने के बाद आवेदक को पुनः उसके आवेदन का Application preview Page दिखाकर यह सुनिश्चित करेगा कि आवेदन पत्र में भरी गई समस्त

प्रविष्टियां पूर्ण रूप से सही है। सही–सही आवेदन भरने के बाद Submit पर Click करेगा। इसके बाद आवेदन में कोई संशोधन नही किया जा सकेगा। सम्पूर्ण आवेदन भरने के बाद अपनी श्रेणी के अनुसार निर्धारित परीक्षा शुल्क नेट बैंकिग/ए.टी.एम. कम डेबिट कार्ड/क्रडिट कार्ड/UPI के माध्यम से जमा करा सकता है। इस हेतु अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त सेवा शुल्क राज्य सरकार द्वारा निर्धरित है को सेवा प्रदाता को सेवा शुल्क के रूप में देना होगा। इस हेतु अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित शुल्क जो ई–मित्र सेवा लेने हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धरित है को सेवा प्रदाता को सेवा शुल्क के रूप में देना होगा । आवेदन भरने के बाद अभ्यर्थी ई–मित्र कियोस्क संचालक से भरे हुए आवेदन की हार्ड कॉपी मय रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त करें। **आवेदन को Submit करने मात्र से आवेदन भरा हुआ नहीं माना जावेगा। आवेदन Submit करने के बाद फीस जमा होने पर ही ऑनलाईन आवेदन भरा हुआ माना जायेगा।** यदि आवेदन Submit करने एवं फीस जमा कराने के बाद भी यदि आवेदन पर Transaction Failed आ रहा है तो आवेदन भरा हुआ नहीं माना जावेगा।

(ग) हाथ से भरे गये/ऑफलाइन आवेदन पत्र किसी भी रूप से स्वीकार नहीं किये जायेंगें।

नोटः–

1. यहां यह उल्लेखनीय है कि अभ्यर्थी OTR वेरिफाई होने के पश्चात्त ऑनलाईन आवेदन के तहत अभ्यर्थी का नाम, पिता नाम, जन्मदिनांक, एवं जेन्डर संबंधी संशोधन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
2. आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र अंतिम रूप से भरने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों से आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही–सही भरी गई है। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गई प्रविष्टियों को ही सही मानकर आगे की कार्यवाही की जावेगी। आवेदक आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरें। **एक बार आवेदन भरने के बाद उसमें रही किसी भी प्रकार की त्रुटि को संशोधित करने की अनुमति आयोग यदि ऑनलाईन उपलब्ध कराता है तो दी जावेगी।**
3. **अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के उपरान्त रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त कर लें।**
4. **आवेदक यह ध्यान दें कि ऑनलाईन आवेदन के उपरान्त उन्हे आवेदन–पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से उपलब्ध होगा और यदि आवेदन–पत्र क्रमांक (एप्लीकेशन आई.डी.) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन–पत्र जमा नही हुआ है। आवेदक आवेदन प्रपत्र के preview को आवेदन submit न मानें।**
5. कृपया ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने से पूर्व आयोग की बेवसाइट पर उपलब्ध विज्ञप्ति एवं अभ्यर्थियों के लिये आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा–निर्देशो का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर लें। विज्ञप्ति एवं उक्त दिशा–निर्देशो को ध्यान में रखकर ही ऑनलाइन आवेदन भरें।
6. **अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम दिनांक से पूर्व अर्जित सभी शैक्षणिक योग्यता/अनुभव के दस्तावेज आवेदन के समय ही अपलोड करें, अन्यथा बाद में स्वीकार नहीं किये जायेंगे। केवल आवेदन के पश्चात् अर्जित शैक्षणिक योग्यता/अनुभव ही बाद में विचारणीय होंगे।"**

फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन और अपलोड करने के लिए दिशा–निर्देश

स्कैन्ड फोटो अपलोड करने के दिशा–निर्देश–

1. आवेदक को नवीनतम रंगीन फोटो (अधिकतम 6 माह पूर्व की) अपलोड करनी चाहिए। मोबाइल एवं अन्य स्वयं रचित फोटो का उपयोग नहीं करें।
2. फोटो का परिप्रेक्ष्य (background) सफ़ेद या हलके रंग होना चाहिए।
3. फोटो में आवेदक का चेहरा न्यनूतम 50 प्रतिशत होना चाहिए।
4. फोटो में आवदक का चेहरा एवं सिर किसी भी कपडे, छाया अर्थवा बालों द्वारा ढका हुआ नहीं होना चाहिए। आवेदक का सिर, नाक, आँखे एवं ठोड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए।
5. यदि आवेदक चश्मा पहनता है, तो फोटो खिचवाते समय, चश्मा पहन सकते हैं, परन्तु चशमे पर चमक (flash) नहीं होना चाहिए। सार्थ ही आवेदक की फोटो में काला अर्थवा धूप का चश्मा नहीं होना चाहिए।
6. फोटो जेपीजी/जेपीईजी (JPG/JPEG) प्रारूप में होनी चाहिए एवं इसका आयाम 3.5 cm x 4.5 cm होना चाहिए।

7. (JPG/JPEG) फ़ोटो का न्यनूतम पिक्सेल मान 240 x 320 और अधिकतम पिक्सेल मान 480 x 640 होना चाहिए।
8. स्कैन्ड फोटो फाइल का आकार न्यनूतम 50 KB तर्था अदिकतम 100 KB होना चाहिए ।

स्कैन्ड हस्ताक्षर अपलोड करने के दिशा–निर्देश–

1. मोबाइल फोन से लिया गया हस्ताक्षर का फोटो स्वीकार नहीं किया जाएगा। केवल उम्मीदवार के हस्ताक्षर की अनमुति है, अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर अमान्य होंगे।
2. आवेदक एक सफ़ेद कागज़ पर 7 सेमी x 2 सेमी के एक आयताकार बॉक्स में गहरे नीले अर्थवा काले स्याही के कलम से हस्ताक्षर करें।
3. बॉक्स में हस्ताक्षर करने के पश्चात हस्ताक्षर स्कैन करें, तत्पश्चात स्कैन की गई छवि अपलोड करें।
4. हस्ताक्षर केवल जेपीजी/जेपीईजी (JPG/JPEG) प्रारूप में होना चाहिए जिसमें न्यनूतम पिक्सेल मान 280 x 80 और अधिकतम पिक्सेल 560 x 160 हो ।
5. स्कैन्ड हस्ताक्षर फाइल का आकार न्यनूतम 10 KB तर्था अकितम 50 KB होना चाहिए ।

2. परीक्षा शुल्क :–

(क) सामान्य वर्ग एवं राजस्थान के क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा/अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु – रुपये 350/–
(ख) राजस्थान के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा/अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के आवेदक हेतु – रुपये 250/–
(ग) समस्त निःशक्तजन, राजस्थान की अनुसूचित जाति वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग तथा जिनकी पारिवारिक आय 2.50 लाख से कम है, के आवेदकों हेतु – रुपये 150/–
(घ) टी.एस.पी क्षेत्र के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति एवं बारां जिले की समस्त तहसीलों के सहरिया आदिम जाति के आवेदकों हेतु :– रूपये 150/–

नोट :–

1. राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को अनारक्षित वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। अतः ऐसे आवेदकों को अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क देना होगा।
2. किसी परीक्षा विशेष (जैसे राज्य पात्रता परीक्षा) को यदि केन्द्र सरकार के अनुसार या केन्द्रीय स्तर के संस्थान के नियमों के अनुसार आयोजित किया जाता है तो उसके लिए परीक्षा शुल्क व आरक्षण की प्रक्रिया भिन्न हो सकती है जिसका अवलोकन संबंधित विज्ञापन में किया जा सकता है।
3. राज्य सरकार द्वारा सभी वर्ग के अभ्यर्थियों की आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत लिये गये निर्णय के क्रम में जारी परिपत्र दिनांक 02.05.2018 के अनुसार सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम है, के लिए किसी भी भर्ती/परीक्षा/चयन में प्रवेश करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के समान ही आवेदक शुल्क होगा। उक्त परिपत्र के अनुसार राजस्थान राज्य के जिन अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन के समय परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम होने का विकल्प चुना गया है, उन अभ्यर्थियों को पात्रता जांच/साक्षात्कार के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। **उक्त लाभ राजस्थान राज्य के अभ्यर्थियों को ही देय होगा। राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों के आवेदकों को अनारक्षित वर्ग हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा।**

3. प्रवेश–पत्रः–आयोग द्वारा समस्त ऑनलाइन आवेदनों में वेबसाइट के माध्यम से ही ऑनलाइन प्रवेश–पत्र जारी किए जाएंगे और आयोग द्वारा डाक से कोई भी प्रवेश–पत्र नहीं भेजा जाएगा। सामान्यतया परीक्षा की तिथि तय होने के उपरान्त और परीक्षा से एक सप्ताह पूर्व वेबसाइट पर प्रवेश–पत्र जारी किए जाते हैं, जिसकी सूचना समाचार पत्रों एवं वेबसाइट के माध्यम से जारी की जाएगी। अभ्यर्थी अपना प्रवेश–पत्र वेबसाइट से प्राप्त करने हेतु **आवेदन–पत्र क्रमांक** एवं **जन्मतिथी** अंकित कर प्राप्त करे। प्रवेश–पत्र सम्बन्धी सूचना अभ्यर्थी को **मोबाइल** पर SMS के माध्यम से भी भेजी जा सकती है। अभ्यर्थी आवेदन में संलग्न किये गये फोटोग्राफ के अनुरूप फोटो की प्रति प्रवेश पत्र पर अवश्य संलग्न करें और **फोटोयुक्त पहचान पत्र** के साथ ही परीक्षा देने हेतु पहुंचे, अन्यथा प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

4. **अन्तिम दिनांक व समय** :—आवेदन की अन्तिम दिनांक को **रात्रि 12—00 बजे तक** आवेदन भरा जा सकता है। **(इसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जाएगा)** आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करें। अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान अन्तिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करें।
5. **परीक्षा का स्थान एवं माह : —** प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर परीक्षा राज्य के सभी जिला/संभागीय मुख्यालयों/अजमेर व जयपुर में ली जा सकती है। परीक्षा की तिथि व विस्तृत कार्यक्रम की सूचना सामान्यतया आवेदन की अंतिम तिथि के उपरांत जारी की जाती है। परीक्षा दिनांक एवं स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित है।
6. **रिक्त पदों की संख्या एवं आरक्षण प्रक्रिया** :— आयोग द्वारा विज्ञापित पदों में **रिक्तियों की संख्या** व **आरक्षित पदों का वर्गीकरण** शासन/विभाग से प्राप्त अर्थना पर आधारित होता है। यदि किसी विज्ञापन में आरक्षित पदों का स्पष्ट वर्गीकरण प्राप्त नहीं हुआ है तो राज्य सरकार से रिक्त पदों का विस्तृत वर्गीकरण प्राप्त होने पर यथा समय जारी कर दिया जाएगा।

   "महिलाओं के लिए रिक्तियों का आरक्षण — सीधी भर्ती में महिला अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण प्रवर्गवार 30 प्रतिशत होगा जिसमें से एक तिहाई विधवाओं और विछिन्न विवाह—महिला अभ्यर्थियों के लिए 80:20 के अनुपात में होगा। किसी वर्ग—विशेष में या तो विधवा या विछिन्न विवाह—महिलाओं में से किसी में पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों को प्रथमतः अन्तर—परिवर्तन द्वारा, अर्थात् विधवाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों को विछिन्न विवाह—महिलाओं से या विपर्ययेन, भरा जा सकेगा। पर्याप्त रूप से विधवा और विछिन्न विवाह—अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में, न भरी गयी रिक्तियां उसी प्रवर्ग की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जायेंगी और पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां उस प्रवर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेंगी जिसके लिए रिक्तियां आरक्षित हैं। महिला अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्ति पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं की जायेगी। विधवाओं और विछिन्न विवाह—महिलाओं सहित, महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रवर्ग के भीतर क्षैतिज आरक्षण माना जायेगा अर्थात् प्रवर्ग की सामान्य योग्यता में चयनित महिलाओं को भी पहले महिला कोटे के विरूद्ध समायोजित किया जायेगा।

   स्पष्टीकरण :— विधवा के मामले में, उसे अपने पति की मृत्यु का सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और विछिन्न विवाह—महिला के मामले में उसे विवाह—विच्छेद का सबूत प्रस्तुत करना होगा।

7. **ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन की प्रक्रिया** :— ऑनलाईन आवेदन Submit किये जाने के पश्चात् यदि आवेदक को किसी प्रकार की त्रुटि का पता लगता है तो अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन में **OTR Profile में दर्शाए गये स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग के अतिरिक्त अन्य त्रुटि संशोधन** निम्नानुसार कर सकता है :—

1. यदि कोई अभ्यर्थी अपने Online आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो **आवेदन की अवधि के दौरान एवं आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के पश्चात् 10 दिवस के भीतर** निर्धारित **शुल्क रूपये 500/— देकर** Online संशोधन (आयोग की वेबसाइट **https://rpsc.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध दिशा—निर्देशानुसार) कर सकता है। इसके पश्चात् किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा।
2. **आयोग द्वारा प्रथम घोषित परीक्षा तिथि से 45 दिवस पूर्व 10 दिन के लिए ऑनलाईन ऐडिट हेतु विकल्प खोला जायेगा जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी के फोटो, नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग के अतिरिक्त अन्य संशोधन किये जा सकते है।**
3. **किसी भी प्रकार के संशोधन के पश्चात् अभ्यर्थी को एस.एम.एस. के माध्यम से सूचित किया जायेगा एवं किए गए संशोधन की पुष्टि ओ.टी.पी. के माध्यम से की जायेगी।**
4. **One Time Registration लागू किये जाने के कारण ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग में किसी भी स्तर पर कोई संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा।**
5. **सभी प्रकार के संशोधनों हेतु शुल्क रूपये 500/— निर्धारित है।**
6. **आयोग द्वारा परीक्षा आयोजन के पश्चात् किसी भी प्रकार का त्रुटि सुधार नहीं किया जाएगा।**

7. आयोग द्वारा अभ्यर्थी से उक्त प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य किसी भी तरह से कोई संशोधन स्वीकार नहीं किया जायेगा व उक्त ऑफलाईन/ऑनलाईन संशोधन तिथि उपरान्त कोई भी परिवर्तन करने हेतु अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।

विशेष नोट :–

(1) अभ्यर्थी द्वारा दिये गये मोबाईल नम्बर पर ही परीक्षा/साक्षात्कार इत्यादि संबंधी भावी सूचना एस.एम.एस. के माध्यम से भिजवायी जायेगी। ऑनलाईन आवेदन में अंकित मोबाईल नम्बर बदलनें/बन्द/मोबाईल नेटवर्क समस्या होने पर सूचनाएं प्राप्त नहीं होने के लिए अभ्यर्थी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

(2) अभ्यर्थी द्वारा एक ही परीक्षा के तहत् एक से अधिक विषय पदों हेतु अलग से पृथक्–पृथक् आवेदन करना होगा ।

(3) आयोग द्वारा उपर्युक्त प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का ऑफलाईन/लिखित संशोधन नहीं किया जायेगा। किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा एवं ऑनलाईन संशोधन तिथी उपरान्त कोई भी परिवर्तन करने हेतु अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।

(4) **अभ्यर्थी यथासम्भव मोबाइल नम्बर एवं पत्र व्यवहार के पत्ते में परिवर्तन नहीं करें, यदि परिवर्तन किया जाना आवश्यक हो तो इसकी सूचना आयोग को शीघ्र भेंजें।**

–: परीक्षा का स्वरूप, पाठ्यक्रम व प्रश्नों पर आपत्ति संबंधी निर्देश :–

- **परीक्षा का पाठ्यक्रम व स्वरूप :–**परीक्षा का पाठ्यक्रम व स्वरूप,जिसमें प्रश्नों की संख्या, कुल अंक व समयावधि निर्धारित होती है, को सामान्यतयाविज्ञप्ति या पाठ्यक्रम के प्रकाशन के समय सूचित कर दिया जाता है। इसमें कतिपय परीक्षाओं में सेवा नियमों के अन्तर्गत ही परीक्षा का स्वरूप निर्धारित होता है और कतिपय परीक्षाओं में आयोग द्वारा निर्धारित होता है अतः अभ्यर्थी विज्ञापन के अतिरिक्त सम्बद्ध सेवा नियमों का भी अध्ययन कर लें। किसी पद हेतु चयन की प्रक्रिया केवल परीक्षा के आधार पर होगी या केवल साक्षात्कार के आधार पर या परीक्षा सह साक्षात्कार के आधार पर, यह भी सेवा नियमों के द्वारा निर्धारित होता है जिसे विज्ञापन में प्रकाशित कर दिया जाता है। किसी परीक्षा का पाठ्यक्रम उस पद की योग्यता, आवश्यकता व सेवा नियमों के प्रावधानों को ध्यान में रखकर निर्धारित होता है। यदि मूल विज्ञापन के साथ यह प्रकाशित नहीं हुआ है तो नवीनतम अनुमोदित पाठ्यक्रम आयोग द्वारा वेब–साइट पर विज्ञापनोपरांत शीघ्र जारी कर दिया जायेगा।
  नोटः–आयोग द्वारा परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं अन्य सामग्री विक्रय किए जाने हेतु किसी भी प्रकाशक को अधिकृत नहीं किया गया है। यदि कोई अभ्यर्थी किसी भी प्रकाशक द्वारा मुद्रित पाठ्यक्रम अथवा अन्य सामग्री खरीदता है तो यह उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी ।

- **प्रश्न पत्र के प्रश्नों पर आपत्तिः–**

1. आयोग द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा के अंतर्गत परीक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी या अंग्रेजी का विकल्प परीक्षा की प्रकृति, सम्बद्ध नियमों के प्रावधान तथा आयोग के विवेक के अनुरूप होगा। वस्तुपरक परीक्षाओं में प्रश्न–पत्र द्विभाषीय या एकभाषीय किसी भी रूप में हो सकता है।"वस्तुतः पद की कार्यगत आवश्यकताओं तथा विषय की तकनीकी अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा यह निर्णय किया जाता है कि प्रश्नपत्र द्विभाषीय होंगे या एकभाषीय। इसी के

अनुरूप आयोग द्वारा अभियांत्रिकी और मेडिकल से सम्बन्धित उच्च स्तरीय परीक्षाओं में केवल अंग्रेजी माध्यम में ही प्रश्न दिये जाते हैं और कतिपय सामान्य स्तरीय परीक्षाओं जैसे कनिष्ठ लिपिक, अध्यापक आदि में केवल हिन्दी माध्यम में प्रश्न पत्र दिये जाते हैं। यह केवल विषय ही नहीं पद की अनिवार्यता को भी ध्यान में रखकर किया जाता है। इस प्रकार यह उल्लेखनीय है कि परीक्षा के माध्यम का चयन उसे आवश्यक रूप से उस माध्यम में प्रश्न पत्र प्राप्त करने हेतु अनुमत नहीं करता, किन्तु सामान्यतया लिखित विवरणात्मक परीक्षाओं में आयोग द्वारा हिन्दी या अंग्रेजी में उत्तर लिखने की अनुमति दी गई होती है, जिसके लिए प्रश्न–पत्र/प्रश्न–पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित दिशा–निर्देशों का समुचित अध्ययन कर लिया जाए।

2. आयोग द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं में यद्यपि प्रश्नों के सम्बन्ध काफी सावधानी बरती जाती है, किन्तु उसमें अपवादस्वरूप प्रश्न–निर्माण, अनुवाद या मुद्रण सम्बन्धी अशुद्धियाँ रह सकती हैं। आयोग द्वारा परिणाम घोषणा से पूर्व विशेषज्ञों की समिति द्वारा प्रश्न पत्र पर उक्त बिन्दुओं पर राय ली जाती है और उन प्रश्नों को मूल्यांकन से बाहर कर दिया जाता है, जो तथ्यात्मक या अवधारणात्मक रूप में गलत या अस्पष्ट होते हैं। (सामान्यतया वर्तनी सम्बन्धी अल्प त्रुटियों वाले ऐसे प्रश्नों की उपेक्षा कर दी जाती है, जिनमें प्रश्न का आशय और भावार्थ समझने में बाधक नहीं होता है) इसी को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा सामान्यतया परीक्षा आयोजन के उपरांत वेबसाइट पर उत्तर कुंजी डालते हुए अभ्यर्थियों से सामान्यतया एक ही बार 3 दिवस के भीतर प्रश्न पत्र पर आपत्तियाँ माँगी जाती हैं, ताकि उन आपत्तियों के आलोक में विशेषज्ञ समिति अपनी राय प्रस्तुत कर सके। आयोग द्वारा लिये गये निर्णय अर्न्तगत उत्तरकुंजिया पर आक्षेप/आपत्ति दर्ज कराने से पूर्व अभ्यर्थी प्रति प्रश्न आक्षेप शुल्क रूपये 100/– जमा करायेगा तथा उक्त राशि का पुर्नभुगतान नहीं किया जाएगा। उक्त शुल्क ई–मित्र पोर्टल/ई–मित्र कियोस्क के माध्यम से ही जमा कराना होगा। अतः ऐसे समस्त अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित समय तक साक्ष्य सहित आपत्ती प्रस्तुत कर दें। यदि आयोग द्वारा किसी परीक्षा विशेष में उत्तर कुंजी प्रकाशित नहीं की गई है या प्रश्न पत्र के प्रश्नों की त्रुटि से भिन्न आपत्ति है, तो भी परीक्षा आयोजन के 3 दिवस के भीतर अपनी आपत्तियाँ स्वयं या डाक से आयोग को प्रेषित कर दें। (ऐसी आपत्तियों को प्रस्तुत करने के लिए सुलभ संदर्भार्थ प्रपत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।) समस्त आपत्तियां केवल निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार की जाएंगी और बिना साक्ष्य प्रस्तुत आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। नियत समय में प्राप्त होने वाले अभ्यावेदन/शिकायत पर ही आयोग द्वारा यथोचित कार्यवाही की जाएगी, निर्धारित समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले अभ्यावेदनों पर आयोग द्वारा किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा। आपत्तियां आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध प्रश्नपत्र के क्रमानुसार की जावें।

3. यद्यपि परीक्षा के प्रश्न पत्र के मुखपृष्ठ बिन्दू संख्या (ii) में अंकित होता है कि प्रश्न के हिन्दी व अंग्रेजी रूपान्तरण की स्थिति में अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध प्रश्न पत्र ही मान्य होगा किन्तु अंग्रेजी भाषा में मुद्रित प्रश्न पत्र में तथ्यात्मक या गंभीर त्रुटि की स्थिति में हिन्दी भाषा में दिये गये प्रश्न पर आपत्तियां विचारणीय होगी।

अभ्यर्थी हेतु प्रश्न पत्र पर आपत्ति का प्रारूप :–

परीक्षा :	वर्ष :	विषय :
नाम :	रोल नम्बर :	प्रश्न–पुस्तिका सीरीज :

		Candidate's Answer (If any)	Objection Detail						Remarks with Details of Proof
Question No.	Answer Key of RPSC		All options are Wrong	More than one Options are right	Question is Wrong/ vague	Difference in Hindi & English versions	Out of Syllabus	Others	

नोट :– प्रत्येक प्रश्न–पत्र के लिए पृथक प्रपत्र प्रयुक्त करें

-: पद की अर्हता, परिवीक्षा, वेतनमान एवं नियुक्ति के लिए अयोग्यता संबंधी सामान्य दिशा–निर्देश :-

- **शैक्षणिक योग्यताः–**आवेदन की अंतिम तिथि तक परीक्षा के सेवा नियमों में निर्धारित/आयोग द्वारा विज्ञापित शैक्षिक अर्हता प्राप्त होनी चाहिए।
  - परन्तु यह कि पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष की परीक्षा, जो सीधी भर्ती के लिए नियमों या अनुसूची में यथा उल्लिखित पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हता है, में सम्मिलित हुआ या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा ,
    - किन्तु उसे जहां चयन दो चरणों अर्थात् लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से किया जाना है, वहां मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व
    - जहां चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से किया जाना है, वहां साक्षात्कार में उपस्थित होने से पूर्व,
    - जहां चयन केवल लिखित परीक्षा, या यथास्थिति, केवल साक्षात्कार के माध्यम से किया जाना है, वहां लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित होने से पूर्व

    लिखित परीक्षा/मुख्य परीक्षा/साक्षात्कार में सम्मिलित होने से पूर्व अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा।

  नोटः– यदि आवेदक पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता परीक्षा उतीर्ण नहीं है और उसकी अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ या होने वाला है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के उपरांत भरे जाने वाले विस्तृत आवेदन पत्र में इसका स्पष्ट उल्लेख संबंधित कॉलम में करे तथा संस्था प्रधान से प्रपत्र–ख प्रमाणित करवाकर संलग्न करे।

- **अनुभवः–**यदि किसी परीक्षा में अनुभव या प्रशिक्षण निर्धारित है, तो उसे संबद्ध शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता के उपरांत का मान्य किया जाता है। इस प्रकार **ऐसे प्रकरणों में परीक्षा के अन्तिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुए या सम्मिलित होने वाले उक्त परन्तुक का लाभ नहीं प्राप्त कर सकेंगे** ।
- **वेतन, पेंशन संबंधी प्रावधान** :–नये भर्ती/नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए दिनांक 1–1–2004 से अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी। किसी परिवीक्षाधीन–प्रशिक्षाणार्थी को, परिवीक्षा की कालावधि के दौरान, ऐसी दर से मासिक नियत पारिश्रमिक संदत्त किया जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर नियत किया जाए और पद के विज्ञापन में अन्यत्र यथादर्शित वेतनमान, सम्बन्धित भर्ती नियमों में उल्लिखित परिवीक्षा की कालावधि सफलता पूर्वक पूरी करने की दिनांक से ही अनुज्ञात किया जाएगा। परन्तु सरकारी सेवा में भर्ती नियमों के उपबंधों के अनुसार नियमित रूप से चयनित किसी कर्मचारी को, परिवीक्षााधीन–प्रशिक्षाणार्थी के रूप में सेवा के दौरान पद के विद्यमान वेतनमान में उसके स्वयं के वेतनमान में उसकी परिलब्धियां या नये पद का नियत पारिश्रमिक, जो भी उसके लिए लाभप्रद हो, अनुज्ञात किया जा सकेगा। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषप्रद नहीं होने पर सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।
- **आयु गणना संबंधी सामान्य नियमः–**अधिकतम आयु सीमा में विविध श्रेणियों/वर्गों के लिए संबधित सेवा नियमों में विहित प्रावधानों के अनुसार छूट प्रदान की जाती है जिन्हें विज्ञापन में प्रकाशित किया जाता है। आयु की गणना संबंधित सेवा नियमों में विहित प्रावधानानुसार आवेदन की अंतिम दिनांक के पश्चात आने वाली 1 जनवरी/1 अप्रेल/1 जुलाई को आधार मानकर की जाती है। कॉलेज शिक्षा के पदों हेतु आयु की गणना विज्ञप्ति के अन्तर्गत आवेदन लेने के वर्ष की 1 जुलाई को आधार मानकर की जाती है। वर्गवार देय छूट के सामान्य प्रावधान निम्नानुसार है :

आयु सीमा में छूट के प्रावधान		
क्र.सं.	**अभ्यर्थियों का वर्ग**	**अधिकतम आयु सीमा में देय छूट**
1.	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.) के पुरूष	5 वर्ष

2.	सामान्य वर्ग की महिला	5 वर्ष
3.	राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.) की महिला	10 वर्ष
4.	विधवा एवं विछिन्न विवाह (परित्यक्ता) महिला	अधिकतम आयु सीमा नहीं
5.	समस्त श्रेणी के विशेष योग्यजन	05 वर्ष

आयु संबंधी उक्त नियम सामान्य स्वरूप के हैं, किसी पद या परीक्षा विशेष के लिए अन्य नियम भी लागू हो सकते हैं, जिसे संबद्ध विस्तृत विज्ञप्ति में देखा जा सकता है। दृष्टांत स्वरूप सूची निम्नानुसार है :—

1.	राजस्थान राज्य के कारोबार में संस्थाई (Substantive) रूप से सेवारत व्यक्तियों, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सैक्टर उपक्रमों/निगमों के कार्यकलापों के संबंध में संस्थाई रुप सेवारत	अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष
2.	राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के तहत भूतपूर्व सैनिक को ऊपरी आयु सीमा मे शिथिलीकरण देय होगा।	(क) राज्य सेवाओं के लिए — 10 वर्ष परन्तु सीधी भर्ती की दशा में जहां निम्नतर पद पर अनुभव भी अनिवार्य है वहां भूतपूर्व सैनिकों को इन नियमों के अधीन पहले से ही उपबंधित आयु में दिये गये शिथिलीकरण के अतिरिक्त निम्नतर पद पर के अपेक्षित अनुभव की कालावधि के बराबर आयु में शिथिलीकरण दिया जायेगा। (ख) राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 और राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम 1998 को छोड़कर समस्त अधीनस्थ सेवाओं क लिए — 15 वर्ष (ग) समस्त अन्य सेवाओं या पदों क लिए — तीन वर्ष की वृद्धि सहित सैन्य सेवाकाल के बराबर, ''परन्तु इन नियमों के अधीन शिथिलीकरण के पश्चात् यदि अनुज्ञेय आयु 50 वर्ष से अधिक निकलती है तो उपरी आयु सीमा 50 वर्ष लागू होगी किन्तु सीधी भर्ती की दशा में जहां निम्नतर पद का अनुभव अनिवार्य है वहां 55 वर्ष की अधिकतम उपरी आयु सीमा लागू होगी।''
3.	भूतपूर्व सैनिक और रिजर्विस्ट (प्रतिरक्षा सेवा के वे कर्मचारी, जिनको रिजर्व में स्थानान्तरित कर दिया गया हो)	अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष
4.	इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति अगर प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे, तो उन्हें आयु सीमा में समझा जावेगा चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे उनकी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे	2 अवसर तक
5.	रिलीज्ड इमर्जेन्सी कमीशण्ड ऑफिसर्स/शोर्ट सर्विस कमीशण्ड ऑफिसर्स सेना में कमीशन ग्रहण करते समय यदि इस पद के लिए आयु सीमा में थे, तो उन्हें सेना से रिहा होने के बाद आयोग के समक्ष उपस्थिति के समय आयु	यदि लागू हो तो अंकित करें।

	सीमा के अन्तर्गत ही समझा जाएगा	
6.	एन.सी.सी. कैडेट प्रशिक्षक (इन्स्ट्रक्टर्स) के मामले में अधिकतम आयु सीमा में (यदि परिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में ही समझा जाएगा)	उनके द्वारा एनसीसी में की गई सेवा की कालावधि के बराबर
7.	पूर्वी अफ्रीकी देशों के कीनिया, तंजानिया, उगान्डा और जंजीवार से प्रत्यावर्तित व्यक्ति	कोई अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं
8.	सन् 1971 में हुये भारत पाक युद्ध के मध्य पाकिस्तान से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्ति	कोई अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं
9.	भूतपूर्व कैदी, जो दण्डित होने से पूर्व इस राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर संस्थाई (Substantive) रुप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था	कोई अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं
10.	अन्य भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व वयोत्तर नहीं था और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले मे	कारावास में व्यतीत अवधि के बराबर
11.	चिकित्सा शिक्षा विभाग के पदों हेतु जहां **डी.एम.** या **एम.सी.एच.** शैक्षणिक योग्यता है (राज्य सरकार के संस्थाई कर्मचारियों के संबंध में 45 वर्ष)	अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष

नोटः—1. आयु संबंधी उक्त नियम लागू होंगे या नहीं, इसे संबद्ध विस्तृत विज्ञप्ति में देखा जा सकता है।

2. कतिपय पदों या परीक्षा विशेष के लिए राज्य सरकार आयोग से परामर्श लेकर अपवादीय मामलों में 5 वर्ष की छूट दे सकती है। (यह छूट सामान्यतः आवेदन प्रकिया पूर्ण होने से पूर्व तक ही छूट संबंधी प्रावधान हो जाने पर मान्य)
3. उपरोक्त समस्त वर्णित (विशेष योग्यजन को आयु सीमा में देय छूट संबंधी प्रावधान को छोड़कर) आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) है, अर्थात अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट को लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।
4. यदि कोई अभ्यर्थी सीधी भर्ती के लिए, ऐसे किसी वर्ष विशेष में जिसमें ऐसी कोई भर्ती नहीं की गई थी, अपनी आयु के संबंध में हकदार था, तो उसे ठीक आगामी भर्ती के लिए पात्र समझा जाएगा, यदि वह 3 वर्ष से अधिक के द्वारा अधिकायु का/की नहीं हुआ/हुई है।(यह छूट विज्ञप्ति में उल्लिखित होने पर ही मान्य होगी)
5. यदि आप निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से अधिक आयु के हैं और आयु सीमा में छूट चाहते हैं, तो विज्ञापन में दिये गये आयु संबंधी जिस उपबन्ध के अन्तर्गत छूट चाहते है उस आशय का, यथा निःशक्तजन, राजस्थान सरकार के स्थाई कर्मचारी/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा/अति पिछड़ा वर्ग/EWS आदि का स्पष्ट प्रमाण–पत्र धारित होना चाहिए, अन्यथा इसके अभाव में आयु सीमा में छूट के प्रावधान का लाभ नहीं दिया जा सकेगा।
6. आयोग हाई स्कूल/सैकण्डरी/हायर सैकण्डरी के प्रमाण–पत्र में दी हुई जन्म दिनांक के अतिरिक्त अन्य किसी प्रमाण को स्वीकार नहीं करता है।

- **राष्ट्रीयता :–**

  (क) भारत का नागरिक या **(ख)** नेपाल या **(ग)** भूटान का प्रजाजन या **(घ)** दिनांक 1–1–62 से पहले भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से आये तिब्बती शरणार्थी या **(ड.)** स्थाई रूप से बसने के विचार से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, युगान्डा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य (पूर्व का टंगानिका और जंजीबार) इन देशों से आये भारत के मूल व्यक्ति।

  नोटः— वर्ग **(ख)**, **(ग)**, **(घ)** व **(ड.)** से सम्बन्धित प्रार्थियों को संबंधित सेवा नियमों के अन्तर्गत सरकार द्वारा प्रदत्त पात्रता का वांछित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

- **नियुक्ति के लिए अयोग्यता :–**

1. कोई पुरूष या महिला अभ्यर्थी, जिसकी/जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियां/पति हैं, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी सिवाय उस दशा के जब सरकार, यह समाधान कर लेने के पश्चात् कि ऐसा करने के लिए वैयक्तिक विधि के अधीन विशेष आधार हैं, किसी अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट न दे।
2. कोई महिला अभ्यर्थी, जिसका विवाह ऐसे व्यक्ति से हुआ हो जिसके पहले से कोई जीवित पत्नी है, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगी सिवाय उस दशा के जहां सरकार, यह समाधान कर लेने के पश्चात् कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार हैं, किसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट प्रदान न कर दे।
3. कोई भी विवाहित अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/होगी यदि उसने अपने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया हो।
   स्पष्टीकरण– इस नियम के प्रयोजन के लिए 'दहेज' का वही अर्थ है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 28) में दिया गया है।
4. ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 1.6.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतानें हों, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

   परन्तु दो से अधिक संतानों वाला व्यक्ति तब तक नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं समझा जायेगा जब तक उसकी संतानों की उस संख्या में, जो 1 जून, 2002 को है, बढोतरी नहीं होती है :

   परन्तु यह और कि जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वतर प्रसव से एक ही संतान है किन्तु पश्चात्वर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतानें पैदा हो जाती है वहां सतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई संतानों को एक इकाई समझा जायेगा

   परन्तु यह भी कि इस उप नियम के उपबंध, राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के अधीन किसी विधवा को दी जाने वाली नियुक्ति पर लागू नहीं होंगे :

   परन्तु यह भी के किसी अभ्यर्थी की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान को नहीं गिना जायेगा जो पूर्व के प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्तता से ग्रस्त हो।

   परन्तु यह भी कि ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरूद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उप–नियम के अधीन नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं है तो उसे निरर्हित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो।

5. शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19) गृह–13/2006 दिनांक 22–5–2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है।

6. आयोग द्वारा किसी भी परीक्षा में विवर्जित (Debar) किये गये ऐसे आवेदक जिनके विवर्जित (Debar) होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है। आवेदन करने पर अयोग्य माना जायेगा।

7. प्रत्येक प्रार्थी का शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है और उसे किसी प्रकार की चिकित्सकीय परीक्षण हेतु तत्पर रहना होगा जो कि नियुक्ति करने वाला अधिकारी उचित समझें।

8. किसी आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्ध होने या न्यायिक रूप से विचाराधीन होने पर नियुक्ति हेतु अपात्रहो सकता है।

9. यदि कोई आवेदक जानबूझ कर असत्य बात लिखेगा या कोई तथ्यपूर्ण बात छिपाएगा, तो उसे अपात्र घोषित करते हुए दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

—: वर्ग (श्रेणी) विशेष में आरक्षण संबंधी निर्देश :—

आवेदन पत्र आमंत्रित करते समय अभ्यर्थियों से जाति एवं अन्य वर्ग भरवाये जाते हैं, जिनका परीक्षा के परिणाम में आरक्षण या वरीयता निर्धारण के रूप में प्रभाव पड़ता है। अनेक अभ्यर्थी इस सम्बन्ध में अपने वर्ग (श्रेणी) को अंकित करने में त्रुटि कर जाते हैं, जिससे अभ्यर्थी एवं आयोग दोनों स्तरों पर परिणाम में विसंगति उत्पन्न होती है। इस सम्बन्ध में कतिपय सामान्य त्रुटियों के निराकरण हेतु निम्न निर्देशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें—

1. **दण्डवत/लम्बवत आरक्षण (Vertical Reservation) संबंधी प्रावधान (जैसे— जाति सम्बन्धी आरक्षण)** — जाति सम्बन्धी आरक्षण का अंकन करने से पूर्व यह ध्यान रखें कि **किसी की भी जाति सदैव पिता की जाति के आधार पर तय होती है।** विशेषतः अभ्यर्थी के महिला होने की स्थिति में यदि वह विवाहित है, तो उसका जातिगण आरक्षण उसके पति की जाति के आधार पर न होकर पिता की जाति के आधार पर तय होती है। **अतः एससी/एसटी/ओबीसी/एमबीसी वर्ग की महिला अभ्यर्थी को पिता के नाम से जारी, जाति प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा। पिता के नाम से जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर उसे उस वर्ग का लाभ देय नहीं होगा।** साथ ही माननीय न्यायालय जयपुर द्वारा DBSAW No 1116/17 में पारित निर्णय दिनांक 18.09.2018 के अनुसार **राजस्थान राज्य के बाहर अन्य राज्य की महिला जो विवाहोपरान्त राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती है तो उसे public employment में ओबीसी/एससी/एसटी/एमबीसी आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा।** ऐसे अभ्यर्थी जो राजस्थान के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें सामान्य वर्ग में माना (परिगणित) जायेगा।

2. **क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) संबंधी प्रावधान (जैसेः—विधवा, परित्यक्ता, निःशक्तजन) :—** ऑनलाईन आवेदन—पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक विधवा/परित्यक्ता वर्ग में आवेदित महिला द्वारा आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् पुनर्विवाह कर लिया जाता है तो भी उसे विधवा/परित्यक्ता वर्ग का लाभ दिया जायेगा। **किसी आवेदक/आवेदिका द्वारा विधवा/परित्यक्ता/विकलांग वर्ग में लाभ लेने हेतु विज्ञापन में उल्लेखित तिथि तक वर्ग परिवर्तन करवाया जा सकता है।** परित्यक्ता/विवाह विच्छिन्न महिला के अंतर्गत लाभ तभी देय होगा, यदि उसे सक्षम न्यायालय अथवा विधि द्वारा इस हेतु आदेशित किया जा चुका है। यदि परित्यक्ता/तलाकशुदा आवेदक का तलाक सम्बन्धी प्रकरण/वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन/लम्बित है एवं डिक्री पारित नहीं हुई है, तो परित्यक्ता/तलाकशुदा श्रेणी/वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। विधवा महिला को पति का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं पति के नाम से लिंक प्रमाण पत्र (यथा — राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पति के नाम से मूल निवास प्रमाण पत्र इत्यादि) प्रस्तुत करना होगा। विधवा/परित्यक्ता श्रेणी की महिला को ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी या विधवा/परित्यक्ता श्रेणी में होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

3. **भूतपूर्व सैनिक सम्बन्धी प्रावधान** — The Rajasthan Civil Services (Absorption of Ex-servicemen) Rules, 1988 के अनुसार भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा निम्नानुसार है :—

   (क) **भूतपूर्व सैनिक** से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने भारत संघ की नियमित थल सेना, जलसेना, वायु सेना के किसी भी रैंक में योद्धक या योद्धक—भिन्न के रूप में सेवा की हो और

   (i) जो ऐसी सेवा से पेंशन उपार्जित करके सेवानिवृत हुआ हो, या

   (ii) जो ऐसी सेवा से चिकित्सीय आधारों पर, जो ऐसी सेवा के लिए निर्धारित हो या उन परिस्थितियों के कारण, जो उसके नियंत्रण से परे हो, सेवा से निर्मुक्त किया गया हो और जिसे चिकित्सीय या अन्य निर्योग्यता पेन्शन प्रदान की गई हो, या

   (iii) जो अपने स्वयं के अनुरोध से अन्यथा, संस्थापन में कटौती के परिणाम स्वरूप उक्त सेवा से निर्मुक्त किया गया हो, या

   (iv) जो अपने स्वयं के अनुरोध से अन्यथा नियुक्ति की विनिर्दिष्ट कालावधि पूर्ण करने के पश्चात या कदाचार अथवा अदक्षता के कारण पदच्युति भी सेवान्मुक्ति के कारण उक्त सेवा से

निर्मुक्त हुआ हो और जिसे सेवा नियुक्ति उपदान दिये गये हो, और इसमें प्रादेशिक, थल सेना के निम्नलिखित प्रवर्गों के कार्मिक भी सम्मिलित है, अर्थात :–

(a) लगातार इंम्बाडिड (Embodied) सेवा के पेंशनधारक,

(b) सैन्य सेवा के लिए निर्धारित निर्योग्यता वाले व्यक्ति,

(c) वीरता पुरस्कार विजेता, या

(v) भूतपूर्व रंगरूट (Ex-recruits) जो चिकित्सीय आधार पर बोर्ड आउट किये गये हों या निर्मुक्त किये गये हों और जिन्हें चिकित्सीय/निर्योग्यता पेंशन प्रदान की गयी हो।

विशेष नोट :– ''कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 01.08.2021 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवाऐं (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिकों को देय लाभ, राजस्थान राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को ही देय है।''

इस संबंध में निम्न अतिरिक्त प्रावधानों का भी ध्यान रखें–

1. अभ्यर्थी का स्वयं भूतपूर्व सैनिक होना आवश्यक है, न कि उसका आश्रित या संबंधी होना।
2. **सेवानिवृत्ति के प्रमाण का प्रस्तुतिकरण** – कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 22.12.2020 के अनुसार कोई व्यक्ति जो अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो गया/गयी है या आगामी एक वर्ष के भीतर–भीतर सेवानिवृत्त हो रहा/रही है पर उसने सक्षम प्राधिकारी से निराक्षेप प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है, पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा/होगी, किन्तु पदग्रहण से पूर्व उसे समुचित नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष सेवानिवृति का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई भूतपूर्व सैनिक निराक्षेप प्रमाण पत्र (N.O.C) के आधार पर आवेदन करता/करती है और वास्तविक सेवानिवृत्ति से पूर्व चयनित हो जाता/जाती है तो नियुक्ति प्राधिकारी पदग्रहण कालावधि को शिथिल कर सकेगा और उसे उसकी सेवानिवृत्ति के दो माह की किसी कालावधि के भीतर–भीतर पद ग्रहण करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा। **नोट :– ''कार्मिक (क–4/2) विभाग के पत्र दिनांक 19.07.2021 के अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन किये जाने के पश्चात् सेवानिवृत्ति के प्रमाण के प्रस्तुतिकरण के लिए 01 वर्ष की अवधि की गणना आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि से की जायेगी।''**
3. कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 22.12.2020 के अनुसार यदि किसी भूतपूर्व सैनिक ने आरक्षण का फायदे लेने के पश्चात् राजस्थान सरकार के अधीन किसी पद पर एक बार सेवा ग्रहण कर ली है तो राजस्थान सरकार के अधीन पुनर्नियोजन के प्रयोजन के लिए उसकी भूतपूर्व सैनिक की प्रास्थिति समाप्त हो जायेगी। राजस्थान सरकार के अधीन नियोजन ग्रहण करने के पश्चात् किसी व्यक्ति को एक सिविल कर्मचारी माना जायेगा।

   परन्तु सीधी भर्ती की दशा में जहां किसी भी पद के लिए, किसी निम्नतर पद का अनुभव अनिवार्य है, भूतपूर्व सैनिक को केवल इस कारण से कि वह, सरकारी सेवा में किसी निम्नतर पद, जिसका अनुभव उच्चतर पद पर सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित है, पर नियोजित है, भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा।

   परन्तु यह और कि यदि कोई भूतपूर्व सैनिक राजस्थान सरकार के अधीन किसी नियोजन को ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पदों के लिए आवेदन करता है और संबंधित नियोजक को, राजस्थान सरकार के अधीन प्रारंभिक पद ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पद जिनके लिए उसने आवेदन किया है, के लिए आवेदन की तारीख–वार ब्यौरों के बारे में कोई स्वतः घोषणा पत्र/वचनबंध देता है तो ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए उसे भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा।

परन्तु यह और भी कि भूतपूर्व सैनिक जिसे राजस्थान सरकार के अधीन नैमित्तक/संविदा/अस्थायी/तदर्थ आधार पर पुनर्नियोजित किया गया है को भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा

स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजन के लिए राजस्थान सरकार के अधीन पद से ऐसे पद अभिप्रेत है जो निम्न के अधीन हैं, –

(क) राज्य सरकार के किसी विभाग या उससे संलग्न या अधीनस्थ कार्यालय,

(ख) राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन कोई राज्य लोक उपक्रम उद्यम,

(ग) संविधान द्वारा स्थापित या गठित कोई निकाय जिसका व्यय राज्य की संचित निधि से किया जाता हो, या

(घ) राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या गठित कोई निकाय या बोर्ड या निगम या प्राधिकरण या सोसाइटी या न्यास या स्वायत्त निकाय (चाहे जिस नाम से भी कहा जाये), या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन कोई निकाय।

4. भूतपूर्व सैनिक अन्य लोक सेवकों को सामान्य स्थिति में अनुज्ञात आयु आदि की शिथिलता जैसे लाभ प्राप्त करने का अधिकारी माना जाएगा अर्थात् राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 यथासंशोधित के प्रावधानों के होते हुए भी किसी भर्ती से संबंधित सेवा नियमों में आयु संबंधी जो शिथिलता अन्य लोक सेवकों/अभ्यर्थियों को देय है, वह भूतपूर्व सैनिक को भी देय होगी अर्थात् आयु संबंधी शिथिलता के संबंध में दोनों नियमों में जो भी हितकर प्रावधान है, उसका लाभ भूतपूर्व सैनिकों को मिलेगा।
5. यदि किसी पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा अर्हित करने के लिए एक प्रश्नपत्र में न्यूनतम अर्हक उत्तीर्ण अंक/या कुल अंक, जहां कहीं भी विहित किये गये हों, तो पांच प्रतिशत या भूतपूर्व सैनिक की अनुपलब्धता की दशा में और पांच प्रतिशत अथावा सुसंगत सेवा नियमों में यथा विहित, जो भी उच्चतम हो, का शिथिलीकरण भूतपूर्व सैनिकों को दिया जायेगा।
6. शासन की अधिसूचना दिनांक 26.08.2013 के अनुसार अधीनस्थ या लिपिक वर्गीय सेवा पदों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित किसी रिक्ति पर नियुक्ति हेतु किसी मैट्रिक्यूलेट भूतपूर्व सैनिक (जिस शब्द में कोई भूतपूर्व सैनिक, जिसने भारतीय थल सेना शिक्षा का विशेष प्रमाणपत्र अथवा जल सेना या वायु सेना में तत्समान प्रमाणपत्र प्राप्त किया है, सम्मिलित है), जिसने संघ के सशस्त्र बलों में 15 वर्ष से अन्यून की सेवा की है, को उन पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र समझा जायेगा जिनके लिए विहित आवश्यक शैक्षणिक अर्हता स्नातक है और जहां, –
   (क) तकनीकी या व्यावसायिक प्रकृति का कार्य अनुभव आवश्यक नहीं है, या
   (ख) यद्यपि गैर तकनीकी व्यावसायिक प्रकृति का कार्य अनुभव आवश्यकता के रूप में विहित है, फिर भी नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो गया है कि भूतपूर्व सैनिक से, लघु अवधि के लिए कार्य प्रशिक्षण प्राप्त करके पद के कर्त्तव्यों का अनुपालन करना अपेक्षित है।
7. शासन की अधिसूचना दिनांक 22.12.2020 के अनुसार आवेदन के समय, कम्प्यूटर अर्हता सुसंगत सेवा नियमों में जहां कही भी विहित हो, अनिवार्य नहीं होगी। नियुक्त व्यक्ति पद ग्रहण करने से पूर्व सुसंगत सेवा नियमों में यथा विहित कोई कम्प्यूटर अर्हता रखेगा। इसके अलावा कम्प्यूटर साक्षरता, सुसंगत सेवा नियमों में जहां कही भी विहित हो, से संबंधित शैक्षणिक अर्हताओं के अतिरिक्त, भारत सरकार की किसी रक्षा संस्था से न्यूनतम तीन माह का प्रमाणपत्र भी कम्प्यूटर अर्हता के रूप में स्वीकृत होगा।

4. **राजकीय सेवारत कर्मचारी सम्बन्धी प्रावधान –** विभिन्न परीक्षाओं में राजस्थान राज्य के सेवारत कर्मचारियों आदि के लिए विशेष प्रावधान है, जिनमें कुछ में केवल आयु संबधी शिथिलता दी जाती है और कुछ में क्षैतिज आरक्षण। सामान्यतया राजकीय कर्मचारी के रूप में सेवा नियमों के अन्तर्गत आयु सीमा में विशेष छूट का प्रावधान होता है व उसके अलग–अलग उपवर्गों जैसे– अराजपत्रित कर्मचारी, मंत्रालयिक कर्मचारी अथवा विभागीय कर्मचारी होने पर आरक्षण का प्रावधान हो सकता है। इस प्रकार एक कार्मिक उक्त में से दोनों अथवा किसी एक लाभ का पात्र हो सकता है। यह लाभ भी सेवा नियम के अध्यधीन होता है। अभ्यर्थी इस संबंध में विस्तृत विज्ञापन के अनुरूप कार्यवाही करें। इस संबंध में विशेषतः दो बिन्दु ध्यान में रखें –
    1. उक्त लाभ **केवल राजस्थान राज्य के कर्मचारियों को प्राप्त है,** अन्य को नहीं, अर्थात् अन्य राज्य के कर्मचारी या केन्द्र सेवा के कर्मचारी सामान्य ही माने जाएगें और वे इस कॉलम को न भरें। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखें कि यह लाभ केवल स्थाई कर्मचारियों के लिए है। अस्थाई तदर्थ या संविदा पर नियुक्त कार्मिक इस लाभ के पात्र नहीं होंगे।
    2. वस्तुतः अधिकांश परीक्षाओं में **राज्य कर्मचारी** के रूप में केवल **आयु सीमा में छूट** का प्रावधान है और **विभागीय कर्मचारी, मंत्रालयिक कर्मचारी तथा अराजपत्रित कर्मचारी होने** पर ही उसे अतिरिक्त रूप से आरक्षण का लाभ प्राप्त होता है। प्रत्येक **विभागीय कर्मचारी, मंत्रालयिक कर्मचारी तथा अराजपत्रित कर्मचारी** राज्य कर्मचारी तो होता है किन्तु प्रत्येक राज्य कर्मचारी **विभागीय कर्मचारी, मंत्रालयिक कर्मचारी तथा अराजपत्रित कर्मचारी** नहीं होता है। जो अभ्यर्थी राजकीय कर्मचारी के साथ–साथ **विभागीय कर्मचारी, मंत्रालयिक कर्मचारी तथा अराजपत्रित कर्मचारी** हैं केवल वे ही इस कॉलम को भरें अन्यथा नहीं। **विभागीय कर्मचारी** के अन्तर्गत भी केवल उसी विभाग के अभ्यर्थी पात्र माने जाते है, जिनके लिए परीक्षा आयोजित की जा रही है और उनके लिए सेवा नियमों में आरक्षण का प्रावधान है। "विभागीय कर्मचारी (DC) – आर. ए.एस. परीक्षा के जारी विज्ञापन/शुद्धि पत्र/पदों के चार्ट में अधीनस्थ सेवाओं में जिन विभागों के डीसी श्रेणी के पद आरक्षित दर्शाये जाते है केवल उन्ही विभागों के मंत्रालयिक कर्मचारी डीसी हेतु पात्र होगें।"

5. **निःशक्तता सम्बन्धी प्रावधान –** विशेष योग्यजन/निःशक्तजन के अंतर्गत परिगणना **The Rajasthan Rights of persons with Disabilities Rules, 2018** में वर्णित प्रावधानों के अनुसार की जाती है। इसके अंतर्गत विशेष योग्यजन के प्रत्येक उपवर्ग में भी निःशक्तता की अलग–अलग श्रेणियां हो सकती हैं, जो आरक्षण की बजाए वस्तुतः उस पद के दायित्वों का निवर्हन करने में उसकी योग्यता अथवा अयोग्यता के आधार पर निर्धारित की जाती है। यदि किसी उपवर्ग में ऐसी श्रेणी पृथक से निर्दिष्ट हो, तो उस उपवर्ग में भी केवल उस विशेष श्रेणी निःशक्तता वाले अभ्यर्थी ही चयन किये जाएंगे, अन्य नहीं। राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 में निःशक्तता की निम्नलिखित 4 श्रेणियों हेतु 1–1 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने का प्रावधान है :–

   (अ) दृष्टि बाधित और अल्प दृष्टि,

   (ब) श्रवण बाधित,

   (स) सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग, बौनापन, एसिड पीडित, मांसपेशियों की डिस्ट्रोफी सहित समस्त चलन–निःशक्तता।

   (द) (1) ऑटिज्म, बौद्धिक निःशक्तता, लर्निंग निःशक्तता एवं मानसिक रूग्णता।

   (2) बहुविकलांगता उपरोक्त ग्रुप–अ से द तक में वर्णित निःशक्तता एवं श्रवण शक्ति का ह्रास एवं दृष्टि बाधित सहित।

   इस संबंध में विशेषतः दो बिन्दु भी ध्यान में रखें –

   (क) इस श्रेणी में आरक्षण हेतु **केवल स्थाई निःशक्तता को ही मान्य** किया जाता है, अस्थाई निःशक्तता को नहीं।

   (ख) यहां यह भी ध्यान रखें कि नियमानुसार इसमें **न्यूनतम 40 प्रतिशत निःशक्तता** होने पर ही इस श्रेणी में आरक्षण हेतु मान्य किया जाता है।

6. उत्कृष्ट खिलाड़ी सम्बन्धी प्रावधान :– उत्कृष्ट खिलाडी को देय आरक्षण क्षैतिज आरक्षण है। उत्कृष्ट खिलाडी श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास उत्कृष्ट खिलाडी होने संबंधी प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम दिनांक से पूर्व का ही होना चाहिए। आवेदन की अंतिम दिनांक के पश्चात् बनाया हुआ उत्कृष्ट खिलाडी संबंधी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा व अभ्यर्थी को उक्त श्रेणी का लाभ देय नहीं होगा व ऑनलाईन संशोधन की अंतिम दिनांक के पश्चात् उसकी श्रेणी में परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

कार्मिक (क–ग्रुप–2) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.5(31) डीओपी/ए–II/84 दिनांक 21.11.2019 द्वारा किये गये संशोधन के अनुसार ''उत्कृष्ट खिलाड़ी'' से ऐसे खिलाड़ी अभिप्रेत हैं जो राजस्थान के मूल निवासी है और जिन्होंने, –

(i) उक्त सारणी के स्तंभ संख्यांक 2 में उल्लिखित अन्तरराष्ट्रीय खेल संस्था द्वारा आयोजित नीचे दी गयी अनुसूची के स्तंभ संख्यांक 3 में उल्लिखित खेलकूद के किसी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट/चैंपियनशिप में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो,

सारणी

क्र.सं.	**अन्तरराष्ट्रीय खेल संस्था**	**टूर्नामेंट/चैंपियनशिप का नाम**
1	2	3
1.	अन्तरराष्ट्रीय ओलम्पिक समिति (आई.ओ.सी.)	ओलम्पिक गेम्स (ग्रीष्मकालीन)
2.	एशिया ओलम्पिक परिषद (ओ.सी.ए.)	एशियन गेम्स
3.	दक्षिण एशियन ओलम्पिक परिषद (एस. एओ.सी.)	दक्षिण एशियन गेम्स, जो सामान्यतः सैफ गेम्स के रूप में माने जाते हैं।
4.	राष्ट्रमण्डल खेल परिसंघ (सी.जी.एफ.)	राष्ट्रमण्डल गेम्स
5.	अन्तरराष्ट्रीय ओलम्पिक समिति से संबद्ध अन्तरराष्ट्रीय खेल परिसंघ	विश्व कप/विश्व चैंपियनशिप
6.	एशिया ओलम्पिक परिषद से संबद्ध एशियन खेल परिसंघ	एशियन चैंपियनशिप
7.	अन्तरराष्ट्रीय स्कूल खेल परिसंघ (आई.एस.एस.एफ.)	अन्तरराष्ट्रीय स्कूल गेम्स/चैंपियनशिप
8.	एशियन स्कूल खेल परिसंघ (ए.एस.एस.एफ.)	एशियन स्कूल गेम्स/चैंपियनशिप

या

(ii) स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के किसी स्कूल नेशनल गेम्स में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो,

या

(iii) इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या इससे संबद्ध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन (एन.एस.एफ.) द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के किसी राष्ट्रीय टूर्नामेंट/चैम्पियनशिप में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो,

या

(iv) एसोसिएशन ऑफ इण्डियन यूनिवर्सिटीज द्वारा आयोजित ऑल इण्डिया इंटरयूनिवर्सिटी के किसी खेलकूद में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो,

या

(v) इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन/पैरा ओलम्पिक कमेटी ऑफ इण्डिया या इससे संबद्ध नेशनल स्पोर्टस फेडरेशन द्वारा आयोजित किसी खेलकूद की नेशनल चैंपियनशिप/पैरा नेशनल चैंपियनशिप या नेशनल गेम्स/नेशनल पैरा गेम्स में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया हो।''

यहां यह ध्यान दें कि यदि किसी अभ्यर्थी ने जान–बूझकर बिना साक्ष्य सहित गलत आरक्षण श्रेणी अंकित की तो आयोग द्वारा अभ्यर्थी के विरूद्ध कार्यवाही भी की जा सकती है।

–: प्रमाण पत्र संबंधी निर्देश :–

(आवेदक परीक्षा से पूर्व आवेदन–पत्र के साथ कोई भी प्रमाण–पत्र नहीं भेजें, जब तक कि आयोग द्वारा विशेष रूप से ऐसी माँग नहीं की जाती, अन्यथा किसी के मूल प्रमाण–पत्र को वापस लौटाने का दायित्व आयोग का नहीं होगा।)
आवेदक को वर्ग विशेष (विशेष योग्यजन/राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आदि) का लाभ कतिपय शर्तों के अन्तर्गत देय होता है। यद्यपि इसके प्रमाण में आवेदक को प्रमाण–पत्र परीक्षा का परिणाम घोषित किए जाने के उपरान्त विस्तृत आवेदन–पत्र के साथ मांगे जाते हैं, किन्तु अभ्यर्थी आवेदन के समय ही विभिन्न प्रमाण–पत्रों के प्रावधानों के अंतर्गत अपनी वस्तुस्थिति सुनिश्चित कर ले :–

1. जाति प्रमाण–पत्र व मूल–निवास प्रमाण–पत्र :–

1. जाति प्रमाण–पत्र जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो।
2. अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के प्रमाण–पत्र में निवास स्थान एवं क्रीमीलेयर/नॉन क्रीमीलेयर की प्रविष्टियां सही–सही एवं पूर्ण भरी गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण–पत्र नियमानुसार नवीनतम जारी किये हुए होंने आवश्यक हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण–पत्र जो नियमानुसार पिता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो। अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम व निवास स्थान के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी जाति प्रमाण–पत्र विस्तृत आवेदन–पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा निर्धारित जाति प्रमाण पत्र के अभाव में ऐसा आवेदन–पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। **पति के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।** राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को Online Application Form में सामान्य वर्ग आवेदक के रूप में आवेदन करना होगा।
3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ होना चाहिए तथा टी.एस.पी. प्रमाण पत्र कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.10.2019 के अनुसार अधिसूचना के पश्चात् का जारी किया हुआ होना चाहिए।
4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम व निवास स्थान के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी जाति प्रमाण–पत्र विस्तृत आवेदन–पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। **पति के नाम व निवास स्थान के आधार पर जारी जाति प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।**
5. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों को नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी Income & Assets Certificate प्रस्तुत करना होगा।
6. विशेष योग्यजन (निःशक्तजन) के अतिरिक्त अन्य आरक्षित श्रेणी का लाभ केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासी को दिया जाता है, अन्य अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के अंतर्गत आवेदन करें।
7. विवाहित महिला अभ्यर्थी को उनके पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण–पत्र धारित करना आवश्यक है, अन्यथा उसे इस वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। चूंकि किसी अभ्यर्थी की जाति विवाह की बजाए पैतृक रूप से निर्धारित होती है, अतः पति के नाम से जारी जाति प्रमाण–पत्र मान्य नहीं है।
8. राजस्थान राज्य के पिछड़ा/अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है, अतः ऐसे अभ्यर्थियों को **Online Application Form** पर सामान्य अभ्यर्थी के रूप में आवेदन करना होगा। जो अभ्यर्थी पिछड़ा/अति पिछड़ा वर्ग में नॉन–क्रीमीलेयर के अंतर्गत आते हैं, वे भी ध्यान दें कि उनका प्रमाणपत्र–
   - नवीनतम **(नियुक्ति की अंतिम प्रक्रिया के तहत् वर्ग परिवर्तन नहीं होने की संभावना के मध्यनजर)** हो और आवेदन की अंतिम तिथि को अभ्यर्थी उस वर्ग में आता हो।

- नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर जारी हो।
- सक्षम अधिकारी द्वारा **निर्धारित प्रपत्र** पर जारी किया हुआ हो।

क्रिमीलेयर में नहीं होनें संबंधी प्रमाण पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार क्रिमीलेयर में नहीं होनें का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्ष मे भी क्रिमीलेयर मे नही है तो ऐसी स्थिति में उससे सत्यापित शपथ पत्र लेकर पूर्व मे जारी प्रमाण पत्र को ही मान लिया जावे। ऐसा अधिकतम दो वर्ष तक किया जा सकता है।

9. यदि अभ्यर्थी **जनजाति उपयोजना क्षेत्र (टी.एस.पी.) क्षेत्र की अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति** से संबंधित है, तो यह सुनिश्चित कर ले कि वस्तुतः वह इसी क्षेत्र का मूल निवासी है। **कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.10.2019 के अनुसार टीएसपी क्षैत्र के अभ्यर्थी का उक्त अधिसूचना के बाद का जारी किया गया प्रमाणपत्र ही मान्य होगा।**

10. जो आवेदक राजस्थान की किसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा/अति पिछड़ा वर्ग के हों, उन्हें चाहिए कि वे इसके प्रमाण स्वरूप निर्धारित प्रपत्र में निम्न अधिकारियों में से किसी एक अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें–
    i. District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/ Deputy Collector/Ist Class Stipendiary Magistrate/ City Magistrate/ Sub-Divisional Magistrate/ Taluka Magistrate/ Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner. *(not below the rank of Ist Class Stipendiary Magistrate).*
    ii. Chief presidency Magistrate/ Additional Chief Presidency Magistrate/ Presidency Magistrate.
    iii. Revenue Officer not below the rank of Tehsildar.
    iv. Sub-Divisional Officer of the area where the candidate and/or his family normally resides.
    v. Administrator/Secretary to Administrator/ Development Officers (Lakshadweep Island).

11. **निःशक्तता प्रमाण–पत्र :–** यदि आवेदक निःशक्त व्यक्ति (Disabled Person) की श्रेणी में आता है तो इसके प्रमाण में उसे सम्पूर्ण भारतवर्ष के किसी भी राज्य के सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी (निदेशालय विशेष योग्यजन के परिपत्र दिनांक 16.9.2015 के अनुसार) **40% या इससे अधिक निःशक्तता का प्रमाण–पत्र** प्रस्तुत करना होगा।

12. **अनुभव संबंधी प्रमाण–पत्र** :– आप यदि कार्यरत हैं/थे, तो उसके प्रमाण में विभिन्न पदों पर कार्य करने का दिनांक सहित प्रमाण–पत्र सक्षम अधिकारी से प्राप्त होना चाहिए। इसके अतिरिक्त विज्ञापन में वांछित अनिवार्य अनुभव, यदि कोई हो तो उसके सम्बन्ध में चाहा गया स्पष्ट प्रमाण–पत्र होना चाहिए।

13. **विवाह संबंधी प्रमाण–पत्र** :– आप यदि विवाहित हैं, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र होना चाहिए और यदि तलाकशुदा हैं तो भी इस सम्बन्ध में प्रमाण होना चाहिए। यदि आवेदक का विवाह राजस्थान राज्य के बाहर सम्पन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं हुआ है या अनिवार्य विवाह पंजीयन लागू होने से पूर्व सम्पन्न होने के कारण पंजीकरण से छूट चाहता है, तब भी वह इस हेतु पूर्ण विवरण सहित उसका शपथपत्र होना चाहिए।

14. **आचरण संबंधी प्रमाण–पत्र** :– अभ्यर्थी आचरण प्रमाण–पत्र के रूप में अंतिम शिक्षण संस्था के आचार्य द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र होना चाहिए। स्थाई राज्य कर्मचारी को चरित्र संबंधी प्रमाण–पत्र होने की आवश्यकता नहीं हैं लेकिन इसके बदलेमें स्थाई राज्य कर्मचारी होने का प्रमाण–पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त होना चाहिए।

15. **आयु का प्रमाण–पत्र :–** आयोग द्वारा हाई स्कूल/सैकण्डरी/हायर सैकण्डरी के प्रमाण–पत्र में अंकित जन्म दिनांक को ही स्वीकार किया जाता है।

16. **सेवारत अभ्यर्थीगण हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र :–** सभी आवेदक, चाहे वे पहले से सरकारी नौकरी में हों या सरकारी औद्योगिक उपक्रमों में हों या इसी प्रकार के अन्य संगठनों में हों या गैर सरकारी संस्था में नियुक्त हों, को अपने नियोक्ता को इस परीक्षा के लिए आवेदन करने के पूर्व ही लिखित में सूचित कर परीक्षा में सम्मिलित होने की स्वीकृति प्राप्त कर लेनी चाहिए। यदि नियोक्ता द्वारा आयोग को आवेदक द्वारा सूचना/अनुमति हेतु आवेदन नहीं किए जाने की अथवा आवेदक को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दिए जाने हेतु सूचित किया जाता है तो आवेदक की अभ्यर्थिता तुरन्त प्रभाव से किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है। अतः आवेदक का दायित्व होगा की वह परीक्षा या साक्षात्कार से पूर्व आवेदन के ही समय अपने विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष से अनापत्ति प्रमाण–पत्र (No Objection Certificate) प्राप्त कर कर लें, चाहे वे स्थाई हो या अस्थाई। यद्यपिऑनलाइन आवेदन के समय उनसे ऐसा प्रमाण–पत्र नहीं मांगा जाता, किन्तु चयन होने की स्थिति में या मुख्य परीक्षा के परिणाम से पूर्व उनसे यह प्रमाण–पत्र लिया जा सकता है।

17. **एन.सी.सी. प्रशिक्षकवप्रशिक्षित अभ्यर्थीगण हेतु प्रमाण–पत्र :–** कतिपय सेवाओं में एन.सी.सी. कैडेट प्रशिक्षक (इन्स्ट्रक्टर्स) को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाती है। कतिपय सेवाओं में एन.सी.सी. व प्रशिक्षित अभ्यर्थीगण वरीयता का प्रावधान है जिसमें योग्यताधारक को **सी–सर्टिफिकेट** धारक होना आवश्यक है।

–: आरक्षित पदों के संबंध में प्रावधान :–

(1) कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों में के पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चात्‌वर्ती तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रनीत किया जाएगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात् ऐसी अग्रनीत की गयी रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेंगी। परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है, तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उप–नियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जायेगा।

(2) राजस्थान के पिछड़ा/अति पिछड़ा/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपब्लब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा।

(3) महिलाओं हेतु रिक्तियों का आरक्षण प्रवर्गानुसार (Categorywise) क्षैतिज (Horizontal) रूप से होगा, जिसके अन्तर्गतकिसी महिला अभ्यर्थी को उसके सम्बंधित प्रवर्ग में आनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा। "राजस्थान सरकार, कार्मिक (क–2) विभाग के पत्र दिनांक 13.01.2016 के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी।" **<u>स्पष्टीकरण</u>** :– किसी वर्ग (अनारक्षित वर्ग (सामान्य वर्ग)/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा/अति पिछड़ा/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जाएगा।

(4) किसी वर्ग (अनारक्षित वर्ग (सामान्य वर्ग)/राजस्थान की अनुसूचित जाति/राजस्थान की अनुसूचित जनजाति/राजस्थान के पिछड़ा/अति पिछड़ा/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के अन्तर्गत महिला हेतु आरक्षित दर्शाए गए पदों में नियमानुसार विधवा एवं विच्छिन्न विवाह महिला के लिए जो पद आरक्षित होंगे उनमें पात्र एवं उपयुक्त विधवा एवं परित्यक्ता (विच्छिन्न विवाह महिला) महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग की अन्य महिला अभ्यर्थियों से भरा जाएगा।

(5) सामान्य पदों के विरूद्ध चयन हेतु आरक्षित वर्ग (राजस्थान की अनुसूचित जाति/राजस्थान की अनुसूचित जनजाति/राजस्थान के पिछड़ा/अति पिछड़ा/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के केवल वे ही अभ्यर्थी पात्र होंगे, जिन्होंने शुल्क के अतिरिक्त किसी अन्य रियायत (जैसे – आयु सीमा, अंको, फिजिकल फिटनेस आदि) का लाभ नहीं उठाया है।

(6) राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा/अति पिछड़ा/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा।

(7) विशेष योग्यजन (निःशक्तजन के लिए निम्न प्रावधान होगा :–

(अ) विशेष योग्यजन के लिए दर्शाए गए आरक्षित पदों का आरक्षण भी क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग (अनारक्षित वर्ग (सामान्य वर्ग)/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा।

(ब) विशेष योग्यजन आवेदक Online Application Form में यथास्थान पर अपने वर्ग एवं निःशक्तता की श्रेणी विशेष का अवश्य उल्लेख करें, अन्यथा उन्हें लाभ देय नहीं होगा।

(स) जहां किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति उपयुक्त बैंचमार्क निःशक्तजन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी हो, तो ऐसी रिक्ति आगामी भर्ती वर्ष में अग्रेषित की जायेगी और यदि आगामी भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त बैंचमार्क निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है, तो उसे प्रथमतः निःशक्तता की निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में अन्तरपरिवर्तन (Interchange) कर भरा जायेगा। यदि उस वर्ष में भी कोई निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है तो नियोक्ता उस रिक्ति को निःशक्तजन के अलावा अन्य व्यक्ति से भर सकेगा।

अन्य सूचनाः–

अभ्यर्थी सूचना हेतु आयोग की वेबसाइट **https://rpsc.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा **दूरभाष सं :– 0145–2635212 एवं 0145–2635200** पर सम्पर्क किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त

अभ्यर्थी राज्य स्तरीय एकीकृत कॉल सेंटर (टोल–फ्री) नम्बर 1800–180–6127 पर भी सम्पर्क किया जा सकता है। **समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सम्बोधित किया जाए।**

आयोग किसी भी प्रार्थी को इस प्रकार का परामर्श नहीं देगा कि वह किसी पद या राज्य सेवा के लिये योग्य है या नहीं। ऐसे प्रश्नों यथा–आयु, शिक्षा, नागरिकता, निवास स्थान आदि के विषयों में प्रार्थी स्वयं विज्ञप्ति के साथ **संबद्ध सेवा नियमों** व **राजकीय आदेशों** में विस्तृत विवरण देख लें कि वे उसके अनुसार योग्यता रखते हैं या नहीं।

–: परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा–निर्देश :–

महत्वपूर्ण ध्यातव्य बिन्दु :–

- अभ्यर्थी को आंवटित परीक्षा केन्द्र एवं ऐच्छिक विषय मे किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जावेगा।
- परीक्षा भवन में प्रवेश के लिये परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्रनित्य अपने साथ लावें, प्रवेश पत्र के अभाव में उसे परीक्षा भवन में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- प्रत्येक परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पूर्व प्रवेश दिया जायेगा।
- परीक्षार्थी के लिए नियत अवधि के अतिरिक्त परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व 5 मिनट का समय उत्तर–पत्रक (ओ.एम.आर. शीट) में रोल नम्बर इत्यादि की प्रविष्टियां भरने के लिए दिया जायेगा।
- परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र पर समस्त सूचनाएं उसके द्वारा आयोग को सूचित विवरण के अनुरुप यथा रुप से अंकित कर जारी किया गया है। परीक्षार्थी प्रवेश पत्र प्राप्त होते ही अंकित समस्त सूचना यथा नाम, पिता का नाम, केटेगरी, जन्म दिनांक एवं ऐच्छिक विषय आदि की सावधानी पूर्वक जांच कर लें।
- प्रवेश पत्र पर अंकित सूचना में भिन्नता पाए जाने पर अभ्यर्थी इस निर्देश की विषय सूची के बिन्दु 1.7 में अंकित अनुसार कार्यवाही करें।
- किसी भी स्थिति में परीक्षार्थी को आवंटित परीक्षा केन्द्र के अतिरिक्त अन्य परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षार्थी परीक्षा कार्यक्रम का ध्यान पूर्वक अध्ययन करलें एवं यह ध्यान रखें कि उसे किस दिन/सत्र में किस परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा देनी है।
- परीक्षा केन्द्र परिसर में मोबाईल फोन/ब्लूटूथ/पेजर्स या अन्य कोई संचार यंत्र रखने की अनुमति नहीं है। अतः परीक्षार्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा केन्द्र पर कागज/किताब/पर्ची, मोबाईल फोन/पेजर्स सहित प्रतिबन्धित वस्तुऍं यथाः पर्स, बैग, पाठ्य पुस्तिकाएं, खाद्य सामग्री, पानी की बोतल एवं हथियार इत्यादि साथ नहीं लायें क्योंकि उनकी परीक्षा केन्द्रों पर अधिकारियों द्वारा सुरक्षा सुनिश्चित नही की जा सकती है। इन अनुदेशों का उल्लंघन किये जाने पर सम्बन्धित अभ्यर्थी के खिलाफ भविष्य में होने वाली परीक्षाओं मे बैठने पर रोक सहित अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

  नोट : वस्तुपरक परीक्षा में केलक्यूलेटर या लॉग टेबल आदि का प्रयोग वर्जित है ।
- परीक्षा में परीक्षार्थी को रफ कार्य हेतु खाली कागज आदि नहीं दिया जाएगा एवं वस्तुपरक (Objective type) परीक्षा में किसी भी प्रकार की सहायक सामग्री यथा ग्राफ या लॉग टेबल आदि के प्रयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी ।
- प्रश्न पत्र में रही किसी भी त्रुटि के सम्बन्ध में यदि आयोग द्वारा केन्द्राधीक्षक/अभिजागर के माध्यम से कोई अधिकारिक सूचना नहीं दी जाती है तो परीक्षार्थी प्रश्न पत्र में उल्लेखानुसार ही प्रश्नों को हल करें ।
- वस्तुपरक परीक्षा प्रारम्भ होने के पश्चात् पूर्ण परीक्षा समाप्ति तक किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
- उत्तर पत्रक/प्रश्नोत्तर पुस्तिका पर अभ्यर्थी द्वारा रोल नम्बर का त्रुटिपूर्ण अंकन करने पर आयोग द्वारा उसके प्राप्तांकों में से 5 अंक तक काटे जा सकते है।
- परीक्षार्थी द्वारा प्रश्नोत्तर पुस्तिका (रफ कार्य के पृष्ठ सहित) के अंदर कहीं पर भी अपना नाम, रोल नंबर, या अन्य कोई संकेत चिन्ह यथा – देवताओं के नाम आदि, प्रश्नोत्तर में नाम, पता या दूरभाष नंबर एवं अन्य कोई भी प्रश्नोत्तर से असंबंधित शब्द, वाक्य एवं अंक आदि अंकित नहीं किया जाना है ऐसाकरने पर आयोग द्वारा दण्डित किया जा सकता है।

–: <u>सामान्य निर्देश</u> :–

1. परीक्षा में प्रवेश से पूर्व अभ्यर्थी स्वयं अपनी पात्रता की जांच नियमानुसार कर लें। परीक्षार्थी को परीक्षा में अनन्तिम (Provisional) रुप से प्रवेश दिया गया है। परीक्षार्थी केवल इस तथ्य से कि उसे परीक्षा में बैठने के लिये प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है; यह मतलब नहीं है कि आयोग द्वारा उसे परीक्षा हेतु नियमानुसार पात्र मान लिया गया है। आयोग द्वारा अभ्यर्थी की पात्रता की जांच करते समय यदि यह ज्ञात होता है कि परीक्षार्थी नियमानुसार परीक्षा हेतु पात्र नहीं है तो उसकी अभ्यर्थिता किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है।
2. परीक्षार्थी से अपेक्षा की जाती है कि वह परीक्षा आरंभ होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले परीक्षा भवन में पहुंच कर तुरन्त अपनी सीट पर बैठ जायें। परीक्षा प्रारम्भ होने के नियत समय के पश्चात आने वाले परीक्षार्थी परीक्षा भवन में प्रवेश के अधिकारी नहीं होंगे। **विशेष परिस्थितियों में केन्द्राधीक्षक द्वारा परीक्षा शुरु होने के 10 मिनट तक अभ्यर्थी को प्रवेश की अनुमति दे सकते है किन्तु इसके उपरान्त किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।**
3. परीक्षार्थी परीक्षा भवन में अपना स्थान ग्रहण करने के साथ ही अपनी जेब, डेस्क, आस पास के स्थानों को भली भांति देख ले कि वहां कोई पुस्तक, पर्चा अथवा अन्य किसी प्रकार की अवांछित सामग्री तो नहीं रखी है। यदि उसके साथ अथवा आस पास ऐसी कोई सामग्री है तो वह अभिजागर को सूचित करें अन्यथा इस सम्बन्ध में परीक्षार्थी स्वयं जवाबदेह होगा।
4. परीक्षार्थी परीक्षा देते समय किसी प्रकार की कोई सामग्री किसी व्यक्ति/परीक्षार्थी से न लेगा और न देगा, दूसरों के पत्रों की नकल न करेगा और न अपने पत्रों की नकल करने देगा, न कोई पत्र लेगा और न लेने या देने का प्रयास करेगा। किसी प्रकार की अव्यस्था, अनाचरण अथवा नकल करने या इनकी कोशिश करने वाले परीक्षार्थी को आयोग के नियमों के अनुसार दण्डित किया जायेगा।
5. परीक्षार्थी को आयोग/केन्द्राधीक्षक/अभिजागर/आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना होगा, ऐसा न करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने पर एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपभोग करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध आयोग/केन्द्राधीक्षक जो भी उचित समझे कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के अन्तर्गत भी कार्यवाही की जा सकती है ।
6. केन्द्राधीक्षक/अभिजागर या आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति संदेह होने की स्थिति में परीक्षार्थी की तलाशी ले सकते हैं, जिसमें परीक्षार्थी को पूर्ण सहयोग देना होगा तथा उनके द्वारा पूछे गये प्रश्नों का उत्तर देना होगा।
7. परीक्षार्थी प्रत्येक विषय की परीक्षा के समय उपस्थिति पत्रक (Attendance Sheet) में पूर्ण इन्द्राज कर अपने हस्ताक्षर करें।
8. परीक्षा समय प्रारंभ होने की सूचना एक घंटा बजा कर दी जायेगी। तत्पश्चात अभिजागर द्वारा परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र वितरित किये जायेंगे। परीक्षार्थी प्राप्त प्रश्न पत्र का अवलोकन कर सुनिश्चित कर लें कि प्रश्न पत्र के पृष्ठ पूर्ण है तथा किसी प्रकार की कोई मुद्रण त्रुटि नहीं है एवं संबन्धित विषय का ही प्राप्त हुआ है। सर्व प्रथम परीक्षार्थी प्रश्न पत्र पर दिये गये निर्देशों का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर पालन करें।
9. **ऐसी परीक्षा जिनमें अभ्यर्थी को प्रश्न–पत्र व उत्तर पत्रक दोनों संयुक्त रुप से एक ही लिफाफे में बंद उपलब्ध कराये जाते हैं। यह लिफाफा निर्धारित समय से पांच मिनट पूर्व उत्तर पत्रक भरने हेतु वितरित किया जायेगा। अभ्यर्थी लिफाफा प्राप्त होने पर यह सुनिश्चित कर लेवें कि लिफाफा सील बन्द है और लिफाफा खोलने के बाद यह जांच ले कि प्रश्न पत्र व उत्तर पत्रक पर अंकित क्रमांक एक समान है। यदि अंकित क्रमांक में किसी प्रकार की भिन्नता हो या प्रश्न पत्र में कोई मुद्रण त्रुटि हो तो, ऐसा प्रकरण तुरंत अभिजागर को सूचित किया जावे एवं उनके निर्देशानुसार कार्यवाही करे।**
10. परीक्षा समय समाप्त होने के 5 मिनट पहले चेतावनी की घंटी बजेगी और दूसरी घंटी बजने पर (परीक्षा समय समाप्त होने पर) परीक्षार्थी को किसी प्रकार का लेख व सुधार नहीं करने दिया जाएगा।

11. परीक्षा कक्ष छोड़ने के पूर्व परीक्षार्थी उत्तर पत्रक अभिजागर को सम्भला दें, तत्पश्चात् अभिजागर से अनुमति लेकर ही परीक्षा कक्ष छोड़े।
12. **परीक्षा कक्ष में प्रवेश उपरांत परीक्षा समय शुरु होने से आधा घंटे तक परीक्षार्थी को शौच आदि हेतु परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी, तत्पश्चात पूर्ण परीक्षा समय तक परीक्षार्थी केवल एक बार अभिजागर की अनुमति से लघुशंका हेतु जा सकेगा।**
13. आयोग द्वारा परीक्षा सामान्यतया कार्यक्रमानुसार ही आयोजित की जायेगी, विशेष परिस्थितियों में आयोग परीक्षा कार्यक्रम में किसी भी स्तर पर परिवर्तन कर सकता है।
14. परीक्षा में बैठने के लिये किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
15. परीक्षा कक्ष में धूम्रपान, मद्यपान, चाय व पान आदि का प्रयोग वर्जित है।

–: ऑनलाईन परीक्षा के सम्बंध में दिशा निर्देशः–

ऑनलाइन परीक्षा हेतु विशेष दिशा–निर्देश होते हैं जिन्हें आयोग द्वारा पृथक से वेबसाइट पर डाला जाता है जिसका अभ्यर्थी अवलोकन कर लें। ऑनलाइन परीक्षाओं में कतिपय परीक्षाएं वस्तुनिष्ठ प्रकृति की हो सकती है और कतिपय टाइप टेस्ट से संबंधित हो सकती है अतः इनके प्रावधान भी अलग–अलग प्रकृति से हो सकते हैं, अतः उनका अवलोकन अवश्य कर लें। ऑनलाइन परीक्षा हेतु सामान्य दिशा–निर्देश निम्नानुसार है–

1. अभ्यर्थी परीक्षा से एक घण्टे पूर्व उपस्थित हों ताकि उन्हें परीक्षा से पूर्व परीक्षा सम्बंधी ब्रीफिंग दी जा सके और उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया जा सके। इसके लिए परीक्षा कक्ष में जाने से पूर्व निर्धारित ब्रीफिंग कक्ष में उपस्थित हों। यदि ब्रीफिंग कक्ष में स्थान का अभाव हो, तो आप निर्धारित स्थान पर बैठकर प्रतीक्षा करें। यदि आयोग द्वारा ब्रीफिंग का निर्णय नहीं भी लिया गया है तब भी अभ्यर्थी परीक्षा से न्यूनतम आधे घण्टे पूर्व उपस्थित हो जाएं, क्योंकि यह परीक्षा कम्प्यूटर लेब में आयोजित की जाती है जिसके लिए विशेष व्यवस्था निर्धारित की जानी होती है।
2. ऑनलाईन परीक्षा के सम्बंध में आयोग की वेबसाइट पर प्रायोगिक टेस्ट हेतु लिंक उपलब्ध करा दिया जाता है जिसे अभ्यर्थी डाउनलोड कर या चलाकर अभ्यास कर लें ताकि टेस्ट की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाए और अभ्यर्थी उससे अभ्यस्त हो लें। फिर भी यदि किसी बिन्दु पर आपको अस्पष्टता है, तो ब्रीफिंग के समय आप उसका समाधान कर लें।
3. यदि आपने प्रायोगिक टेस्ट को पहले से नहीं देखा है, तो भी ब्रीफिंग में इस प्रक्रिया को समझ सकते हैं। परीक्षा कक्ष में भी समस्या समाधान के लिए समुचित कार्मिक उपलब्ध रहेंगे।
4. समाान्यतया ऑनलाईन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को अपने रोल नम्बर को लोग–इन (Login) करना होता है व उन्हे परीक्षा कक्ष में उपलब्ध कराये गये पासवर्ड का उपयोग कर साइन–इन करना होता है ।
5. अभ्यर्थी को वस्तुनिष्ठ प्रशनों के उत्तर रेडियो बटन के रूप मे दिए गए विकल्प (Option) को माउस उपयोग कर सेलेक्ट करना होता है एवं उक्त प्रश्न के उत्तर को वह मार्क फार रिव्यू (Mark for Review), स्किप (Skip), सेव व नेक्स्ट (Save & Next) अथवा रिसेट (Reset) कर सकता है, उसी के अनुरूप प्रश्नो के उत्तर का रंग चेन्ज हो जावेगा। परीक्षा समय खत्म होने पर अभ्यर्थी द्वारा भरे गये रेस्पांस स्वतः सबमिट और सेव हो जाएंगे। अभ्यर्थी परीक्षा के उपरांत वहीं ऑनलाइन फीड–बैक भी दे सकते हैं।

–: वस्तुपरक परीक्षा (Objective Type) हेतु निर्देशः–

- उत्तर पत्रक की समस्त प्रविष्टियां एवं प्रश्नोत्तर नीले बाल पैन से भरे जाने है अतः परीक्षार्थी अपने साथ नीला बाल पेन अवश्य लेकर आवें ।
- आयोग द्वारा समस्त तकनीकी विषयों के प्रश्न पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषाओं (Bi-lingual) के स्थान पर केवल अंग्रेजी भाषा में ही उपलब्ध कराये जाएंगे ।
- वस्तुपरक परीक्षा का प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय (Multiple Choice) प्रकार का होगा। प्रश्न पत्र के उत्तर अंकित करने हेतु परीक्षार्थी को उत्तर पत्रक प्रदान किया जावेगा ।
- परीक्षार्थी को परामर्श दिया जाता है कि वे उत्तर पत्रक एवं प्रश्न पत्र पर दिये गये निर्देशों का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर लें। प्रश्न पत्र एवं उत्तर पत्रक पर दिये गये निर्देशों की पालना में रही कमी अथवा त्रुटि के लिये परीक्षार्थी स्वयं जवाबदेह होगा। परीक्षार्थी अपना रोल नम्बर ओ.एम.आर. पत्रक पर सावधानी पूर्वक भरें। **अभ्यर्थी द्वारा उत्तर पत्रक पर रोल नम्बर का त्रुटिपूर्ण अंकन करने पर परीक्षार्थी स्वयं जवाबदेह होगा।**
- वैकल्पिक उत्तरो में से किसी एक गोले/बबल को नीला बाल पेन से पूर्णरूप से गहरा भरना है। उत्तर पत्रक का मूल्यांकन कम्प्यूटर द्वारा किया जावेगा अतः यदि परीक्षार्थी द्वारा की गई किसी प्रविष्टि को कम्प्यूटर द्वारा नहीं पढ़ा जाता है तो परीक्षार्थी स्वयं जवाबदेह होगा।
- सामान्यतया परीक्षार्थी को दिये जाने वाले प्रश्न पत्र के पॉलीथिन बैग के अन्र्तगत प्रश्न पत्र पुस्तिका एवं उत्तर पत्रक में अंकित प्रश्नपत्र पुस्तिका संख्या समान ही होती है तथापि **परीक्षार्थी प्रश्नपत्र पुस्तिका के पॉलीथिन बैग/सील को खोलने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि उसे प्राप्त प्रश्नपत्र पुस्तिका पर अंकित संख्या वही है जो उत्तर पत्रक में अंकित है। इसमें कोई भिन्नता हो तो अभिजागर सें दूसरा प्रश्नपत्र प्राप्त कर लें।**
- सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर दिये गये होंगे, जिन्हें क्रमश 1, 2, 3, 4 अंकित किया गया होगा। परीक्षार्थी को सही उत्तर निर्दिष्ट करने के लिये उनमें से केवल **एक गोला (0)/बबल** को गहरा नीाला करना होगा। एक बार उत्तर अंकित किये जाने के पश्चात उसे बदला नहीं जा सकेगा अतः परीक्षार्थी उत्तर अंकित करने के पूर्व, पूर्ण संतुष्ट हो जावें। एक से अधिक गोले नीले करने पर प्रश्न के उत्तर को गलत माना जायेगा ।
- परीक्षा में प्रश्न पत्र का ऋणात्मक अंकन (Negative Marking) किया जावेगा अथवा नहीं, इस सम्बन्ध में प्रश्न पत्र पर निर्देश दिये होंगे। ऋणात्मक अंकन की स्थिति में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए प्रश्न अंक का 1/3 भाग काटा जायेगा । गलत उत्तर से तात्पर्य एक अशुद्ध उत्तर अथवा किसी प्रश्न का एक से अधिक उत्तर से है। किसी प्रश्न से सम्बंधित सभी गोले/बबल खाली छोडना गलत उत्तर नहीं माना जायेगा।
- अभ्यर्थी को प्रश्न–पत्र एवं उत्तर पत्रक दोनों संयुक्त रूप से एक ही लिफाफे में सीलबन्द उपलब्ध कराये जाते है। यह लिफाफा निर्धारित समय से पांच मिनिट पूर्व उत्तर पत्रक भरनें हेतु वितरित किया जावेगा। अभ्यर्थी लिफाफा प्राप्त होने पर यह सुनिश्चित कर लेवें कि लिफाफा सीलबन्द है और लिफाफा खोलनें के बाद यह जांच लें कि प्रश्नपत्र एवं उत्तर पत्रक पर अंकित पुस्तिका संख्या एक समान है तथा प्रश्नपत्र पुस्तिका के पृष्ठ पूर्ण है। यदि अंकित पुस्तिका संख्या में किसी प्रकार की भिन्नता हो अथवा प्रश्न पत्र पुस्तिका में कोई मुद्रण त्रुटि हो यथा कोई प्रश्न/पृष्ठ गायब हो तो अभिजागर सें दूसरा प्रश्नपत्र प्राप्त कर लें।
- यदि किसी प्रश्न में किसी प्रकार की कोई मुद्रण या तथ्यात्मक प्रकार की त्रुटि हो तो प्रश्न के हिन्दी तथा अंग्रेजी रूपान्तरों में से अंग्रेजी रूपान्तर मान्य होगा।

–: वर्णनात्मक प्रकार (Descriptive Type) की परीक्षा हेतु विशेष निर्देश :–

- परीक्षार्थी को परीक्षा समय शुरु होते ही अभिजागर द्वारा एक प्रश्नोत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जावेगी, जिसमें प्रश्न मुद्रित होंगे साथ ही प्रश्नोत्तर लिखने हेतु स्थान दिया होगा।
- प्रश्नोत्तर पुस्तिका में उत्तर अंकित करने हेतु केवल नीले बाल पेन के प्रयोग की अनुमति होगी। परीक्षार्थी इतिहास, भूगोल व विज्ञान से संबद्ध विषय की परीक्षा में ग्राफ, मानचित्र या चित्र बनाते समय रंगीन पेन्सिलों का प्रयोग कर सकते है।
- परीक्षार्थी प्राप्त प्रश्नोत्तर पुस्तिका का अवलोकन कर सुनिश्चित कर लें कि प्रश्नोत्तर पुस्तिका के पृष्ठ पूर्ण है तथा किसी प्रकार की कोई मुद्रण त्रुटि नहीं है एवं प्रश्नपत्र संबन्धित विषय का ही प्राप्त हुआ है। सर्व प्रथम परीक्षार्थी प्रश्नोत्तर पुस्तिका पर दिये गये निर्देशों का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर पालन करें। प्रश्नोत्तर पुस्तिका पर दिये गये निर्देशों की पालना में रही कमी अथवा त्रुटि के लिये परीक्षार्थी स्वयं जवाबदेह होगा।
- आयोग द्वारा समस्त तकनीकी विषयों के प्रश्न पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषाओं (Bi-lingual) के स्थान पर केवल अंग्रेजी भाषा में ही उपलब्ध कराये जाएंगे ।
- परीक्षार्थी प्रश्नोत्तर पुस्तिका के साथ संलग्न ओ.एम.आर. पत्रक पर चाही गयी सूचनाओं की यथा स्थान पूर्ति करे। **परीक्षार्थी अपना रोल नंबर, ओ.एम.आर. पत्रक पर सावधानी पूर्वक भरें । परीक्षार्थी द्वारा उत्तर पत्रक पर रोल नम्बर का त्रुटिपूर्ण अंकन करने पर अभ्यर्थी स्वयं जवाबदेह होगा।**
- प्रश्नोत्तर पुस्तिका के आंतरिक पृष्ठों पर केवल प्रश्नोत्तर ही लिखें। **परीक्षार्थी द्वारा उत्तर पुस्तिका (रफ कार्य के पृष्ठ सहित) के अंदर कहीं पर भी अपना नाम, रोल नंबर, अथवा अन्य कोई पहचान चिन्ह यथा – देवताओं के नाम आदि, प्रश्नोत्तर में नाम, पता या दूरभाष नंबर एवं अन्य कोई भी प्रश्नोत्तर से असंबंधित शब्द, वाक्य एवं अंक आदि नहीं लिखें। ऐसा करने पर आयोग द्वारा इसे अनुचित साधन अपनाने का कृत्य माना जा सकता है।**
- यदि किसी प्रश्न में किसी प्रकार की कोई मुद्रण या तथ्यात्मक प्रकार की त्रुटि हो तो प्रश्न के हिन्दी तथा अंग्रेजी रूपान्तरों में से अंग्रेजी रूपान्तर मान्य होगा।
- परीक्षार्थी अपने प्रश्नों का उत्तर हिन्दी अथवा अंग्रेजी में दे सकते हैं, परन्तु किसी एक प्रश्नपत्र के प्रश्नों के उत्तर अंशतः अंग्रेजी और अंशतः हिन्दी में दिये जाने की अनुमति नहीं होगी, जब तक कि प्रश्न पत्र में ऐसा करने के लिये विशेष तौर पर निर्देश नहीं दिये गये हो ।
- अंग्रेजी, हिन्दी, संस्कृत, उर्दू तथा सिन्धी साहित्य विषयों के प्रश्नों के उत्तर साहित्य की सम्बन्धित लिपि में ही दिये जायेंगे सिवाय इसके कि किसी विशेष प्रश्न का उत्तर हिन्दी या यथा स्थिति अंग्रेजी में देने की विनिर्दिष्ट अपेक्षा की गई हो ।
- परीक्षार्थी को रफ कार्य हेतु अलग से कोई पुस्तिका अथवा खाली कागज उपलब्ध नहीं कराया जावेगा एवं ना ही पूरक उत्तर पुस्तिका जारी की जावेगी ।

वर्णनात्मक में केलक्यूलेटर/लॉगटेबल आदि सहायक सामग्री के प्रयोग में लाने संबंधी निर्देश

- परीक्षा के समस्त अभियांत्रिकी विषयों, भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित, वाणिज्य, अंकेक्षण एवं लेखांकन तथा सांख्यिकी विषयों के परीक्षार्थी प्रश्न–पत्रों के हल हेतु नॉन प्रोग्रामेबल (Non Programmable) ध्वनिरहित तथा सौर उर्जा/बैटरी चालित पाकेट केलक्यूलेटर अपने साथ ला सकते हैं व उनका प्रयोग कर सकते हैं। केन्द्राधीक्षक को पूर्ण अधिकार होगा कि उपरोक्त प्रकार के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के केलक्यूलेटर का प्रयोग परीक्षार्थी को नहीं करने दें।
- प्रोग्रामेबल (Programmable) केलक्यूलेटर से आशय ऐसे केलक्यूलेटर से है, जिसमें प्रयोग कर्ता किसी कठिनतम प्रश्न को हल करने हेतु प्रोग्राम लिख कर सुरक्षित रख सकता है। प्रोग्रामेबल (Programmable) केलक्यूलेटर में यथा कुंजिकाए उपलब्ध होती है : -data bank -execute -formula -forward -go to -learn -letters of alphabet -load -memo -programme -reverse -run -LRN । अतः ऐसी कुंजिकाओं वाले केलक्यूलेटर के प्रयोग की अनुमति नहीं होगी ।
- परीक्षा विशेष केपरीक्षार्थी की मांग पर, आयोग जहां आवश्यक समझेगा, संदर्भ हेतु निम्न सामग्री उन्हें उपलब्ध करायेगा (स्वयं द्वारा लाई गई किसी भी प्रकार की सामग्री का प्रयोग निषेध है) :–

- गणितीय (Mathematical), भौतिकी (Physical), रासायनिक (Chemical), सांख्यिकीय (Statistical) तथा अभियांत्रिकी (Engineering) सारणियां (Tables) जिनमें लॉगरिथमिक सारणी (Logarithmic Table) भी सम्मिलित है।
- 800 डिग्री सेन्टीग्रेड तक तापमान तथा 500 Kgf/Cm^2 के लिये स्टीम सारणियां जिसमें मोलियर डायग्राम (Moliere Diagrams) सम्मिलित है ।

–: श्रुतलेखक (SCRIBE) उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी सामान्य दिशा–निर्देश :–

1. **राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011** में वर्णित ऐसे विशेष योग्यजन (**नेत्रहीन (Blind), सूर्यमुखी** एवं **अल्प दृष्टि** (न्यूनतम 40 प्रतिशत दृष्टिनिःशक्तता) या शारीरिक रुप से निःशक्त (जो बांह कटे होने या उंगलियां नहीं होने के कारण लिखने में असमर्थ हैं, ऐसी न्यूनतम 40 प्रतिशत निःशक्तता), जो स्वयं अपने हाथ से प्रश्नों के उत्तर लिखने में असमर्थ हैं, को उनके आवेदन परपरीक्षा में **श्रुतलेखक** उपलब्ध कराए जाएंगे।

2. श्रुतलेखकउपलब्ध कराने हेतु ऐसे अभ्यर्थी प्रवेश पत्र प्राप्त होते ही परीक्षा प्रारम्भ होने के कम से कम दो दिन पूर्व आंवटित परीक्षा केन्द्र के केन्द्राधीक्षक के समक्ष वांछित चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित उपस्थित होकर श्रुतलेखक की व्यवस्था हेतु लिखित रूप में अनुरोध करें। केन्द्राधीक्षक द्वारा सन्तुष्ट होने पर ऐसे परीक्षार्थी हेतु श्रुतलेखक की व्यवस्था की जायेगी।

3. परीक्षा की निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक याग्यता के अनुरूपही श्रुतलेखक की नियुक्ति हेतु अधिकतम शैक्षणिक याग्यता निर्धारित है, जो निम्न है–

परीक्षा के लिए विज्ञापनानुसार निर्धारित न्युनतम योग्यता, जिसका अभ्यर्थी परीक्षार्थी है	**श्रुतलेखक की योग्यता**
स्नातकोत्तर उपाधि	स्नातक
स्नातक उपाधि	द्वितीय वर्ष स्नातक
सीनियर सेकेंडरी /	सेकेंडरी
सेकेंडरी	9वीं

4. केन्द्राधीक्षक उनके केन्द्र पर बैठने वाले ऐसे परीक्षार्थियों के लिये उक्त योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए नियुक्ति किये जाने वाले श्रुतलेखकों की सूची जिसमें परीक्षा का नाम, विषय, दिनांक, श्रुतलेखकों का नाम, पिता का नाम, जन्म दिनांक, योग्यता व निवास का पूर्ण विवरण का उल्लेख हो, परीक्षा से पूर्व तैयार कर लेंगे और उसकी एक प्रति आयोग के नाम सूचनार्थ अवश्य भेजे।

5. परीक्षा के लिये निर्धारित न्यूनतम योग्यता को ध्यान मे रखते हुए केन्द्राधीक्षक द्वारा नियुक्त श्रुतलेखक के संबंध मे यह सुनिश्चित कर लें कि
   - श्रुतलेखक की योग्यता निर्धारित उक्त योग्यता से अधिक नहीं है।
   - परीक्षार्थी का संबंधी या उसकी पसंद का श्रुतलेखक उपलब्ध न कराया जावे, केन्द्राधीक्षक स्वयं उपयुक्त श्रुतलेखक चुनेगा।

6. केन्द्राधीक्षक द्वारा ऐसे परीक्षार्थियों के लिए पृथक् वीक्षक के वीक्षण में अलग कमरे में बैठाने की व्यवस्था की जावेगी । वीक्षक को यह भी देखते रहना चाहिए कि श्रुतलेखक वही लिखता है जो कि परीक्षार्थी बोलता है तथा यह भी सुनिश्चित करें कि उसका आचरण किसी रूप में संदेहास्पद नहीं हो। श्रुतलेखक के किसी अनुचित कार्यवाही करते हुए पकडे जाने पर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा उसकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है ।

7. “दृष्टि बाधित (B/LV) एवं सूर्यमुखी अथवा दोनों हाथ से निःशक्त अभ्यर्थी को निर्धारित समय के अतिरिक्त बीस (20) मिनिट प्रति घंटा क्षतिपूरक समय दिया जाएगा।

8. आयोग द्वारा श्रुतलेखक को प्रति सत्र रु 100/– की दर से पारिश्रमिक दिया जायेगा।
9. अन्य निःशक्त परीक्षार्थी को भी, यदि उसे परीक्षा केन्द्र पर अपनी शारीरिक स्थिति के मद्देनजर कोई विशेष व्यवस्था की आवश्यकता हो, तो परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र प्राप्त होते ही वह आयोग/सम्बन्धित परीक्षा केन्द्र को पत्र द्वारा आवश्यक रुप से सूचित करें, अन्यथा यह समझा जायेगा कि उसे कोई विशेष व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है।

10. ऐसे परीक्षार्थी जिन्होंने अपने आवेदन में निःशक्तता नहीं भरी है या श्रुतलेखक की सुविधा हेतु केन्द्राधीक्षक को परीक्षा प्रारम्भ होने की दिनांक से पूर्व ही सूचना नहीं दी है याचिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया है, को यह सुविधा देय नही होगी। **ऐसे परीक्षार्थी, जो अचानक दुर्घटनावश लेखन कार्य से अस्थायी रुप से असमर्थ हुए हैं, उन्हें श्रुतलेखक की सुविधा देय नहीं होगी**।

11. यदि किसी परीक्षा में कतिपय प्रश्न चित्र या आकृति आधारित है, तो आयोग उनके प्रश्न पत्र में इन प्रश्नों को हटाते हुए और इनके स्थान पर नए प्रश्न रखते हुए पृथक से प्रश्न पत्र तैयार करा सकता है, क्योंकि **दृष्टिबाधित** (Blind/Low Vision) परीक्षार्थी ऐसे प्रश्नों को देख नहीं पाते हैं। इस प्रकार ऐसे **दृष्टिबाधित** (Blind/Low Vision) परीक्षार्थी, जिनको श्रुतलेखक उपलब्ध कराया जायेगा, उन परीक्षार्थियों हेतु **प्रश्न पत्र अलग** से दिये जा सकते हैं। किंतु यह आवश्यक नहीं कि ये सुविधा प्रत्येक परीक्षा मे दी ही जाये जहॉ आयोग द्वारा **दृष्टिबाधित** परीक्षार्थीगण के लिए अलग से प्रश्न पत्र तैयार कराने का निर्णय लिया जायेगा वहॉ पृथक से निर्देश जारी किये जायेंगे। यदि अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र में केटेगरी Blind/Low Vision लिखी हुई है, किन्तु अभ्यर्थी उस श्रेणी में नहीं आता है अर्थात वह **दृष्टिबाधित** होने का चिकित्सकीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करता है, तो उसे अन्य सामान्य प्रश्न पत्र दिया जाएगा एवं जिसका निर्णय केन्द्राधीक्षक स्वयं के स्तर पर करेंगे।

–: अनुचित साधनों की रोकथाम संबंधी निर्देशः–

(1) परीक्षार्थियों को आयोग/केन्द्राधीक्षक/अभिजागर/आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिए गए निर्देशों को अनिवार्यतः पालन करना होगा, ऐसा न करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने पर एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपभोग करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध आयोग/केन्द्राधीक्षक जो भी उचित समझें कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ **राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम,1992** के अन्तर्गत एवं आयोग द्वारा निर्धारित "Punishment for insolent behavior/disorderly conduct/ using or attempting to use unfair means during the course of examination" के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है।

(2) कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल फोन, पर्स इत्यादि लेकर नहीं आएं। परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा में परीक्षा उपयोग के लिए आवश्यक जैसे पेन, पेन्सिल, प्रवेश–पत्र या आयोग द्वारा निर्देशित सामग्री ही कक्ष में ले जा सकता है। यदि परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल व अन्य अनावश्यक वस्तुएं साथ लाता है तो उन्हें जब्त किया जा सकता है तथा उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी परीक्षा केन्द्राधीक्षक/संचालक व राजस्थान लोक सेवा आयोग में से किसी की भी नहीं होगी।

(3) जिस परिसर के भीतर भर्ती परीक्षण आयोजित किया जा रहा है, वहां मोबाइल फोन, पेजर्स या अन्य कोई संचार यंत्र रखने की अनुमति नहीं है। इन अनुदेशों का उल्लंघन किए जाने पर सम्बन्धित उम्मीदवार के खिलाफ भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

(4) अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा केन्द्र पर मोबाइल फोन/पेजर्स सहित प्रतिबंधित वस्तुएं साथ नहीं लाएं, क्योंकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती है।

(5) यदि आवेदक किसी भी स्रोत या साधन द्वारा परीक्षा या उसकी प्रक्रिया को अनुचित रूप से प्रभावित करेगा, तो उसे तत्काल अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

....